an>

Title: Discussion on the motion for consideration of the National Minimum Pension (Guarantee) Bill, 2014 (Discussion not concluded).

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, now the House will now take up the next item in the agenda for discussion.

Before I call upon Shri Nishikant Dubey to move the Motion for consideration of his Bill, namely the National Minimum Pension (Guarantee) Bill, 2014, the time for discussion of the Bill has to be allotted by the House. If the House agrees, two hours may be allotted for discussion of the Bill.

SEVERAL HON. MEMBERS: All right.

HON. CHAIRPERSON: Agreed.

Now, Shri Nishikant Dubey to speak.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में सभी पेंशनभोगियों, जिनमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्होंने असंगठित और निजी क्षेत्र में कार्य किया है, को प्रत्याभूत न्यूनतम पेंशन का संदाय करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

धन्यवाद सभापति महोदय, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण बिल है। पहली बार तो कोई मौका नहीं मिला और दूसरी बार जब एमपी बना, तो यह मौका मिला कि प्राइवेट मेंबर बिल एक नम्बर पर आ गया और उस पर डिस्कशन स्टार्ट हो गया। कोई फिक्सिंग नहीं हुई। आज जिस सेक्टर के लिए मैं बात करने जा रहा हूँ, हम यहाँ पर जितने भी मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं, उनके दिल से जुड़ा हुआ विषय है। वही हमको वोट देते हैं, वही चुनते हैं, वही इस देश के मालिक हैं। उनकी जो स्थिति है, वह इतनी खराब है कि हम और आप चूंकि लोक सभा से बार-बार चुनकर आते हैं, बार-बार जनता के बीच जाना होता है। इसलिए उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी परेशानी क्या है? यह बिल क्या कहता है? यह बिल कहता है कि भारत में बहुसंख्यक पेंशनभोगियों की दशा अत्यंत दयनीय, दुखद और निराशाजनक है। इस बिल के जो ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन हैं, वे समाज में बेहतर व्यवहार पाने के हकदार हैं, विशेषकर इस कारण से, क्योंकि किसी समय उन्होंने समाज की सेवा की थी या कर रहे हैं। अतः यह समाज का उत्तरदायित्व है कि वह उनके साथ आदरपूर्ण व्यवहार करे और यथासंभव उनकी समस्याओं का निराकरण करे।

इस विधेयक का आशय प्रत्येक पेंशनभोगी को न्यूनतम पेंशन की संदायगी का उपबंध करना है, जिनमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं, जिन्होंने असंगठित क्षेत्र और निजी क्षेत्र में काम किया है। चूंकि न्यूनतम पेंशन की संदायगी का प्रावधान उन व्यक्तियों के लिए भी किया जा रहा है, जिन्होंने असंगठित और निजी क्षेत्र में कार्य किया है, यह जनसंख्या के एक बड़े भाग के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा। यद्यपि इससे पेंशनभोगियों की सभी समस्याओं का हल नहीं होगा, तथापि उनको इससे कुछ राहत मिलेगी, इससे उन्हें यह संतोष भी होगा कि उनकी समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है। इस देश में सात प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिनके एनपीएस और ईपीएफ जैसी संस्थाएं हैं। जब माननीय मंत्री जी जवाब देने के लिए खड़े होंगे, यही सब बातें कहेंगे। लेकिन 93 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, आप इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए, कि इस देश में सात प्रतिशत लोगों के पास ही सोशल सिक्योरिटी है और 93 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जिनके पास, यदि वे बीमार हो जाएं, इलाज के लिए भी पैसा नहीं है। यदि उनको दिल्ली आना हो, जैसे हमारे झारखण्ड से किसी को दिल्ली आना है, तो वे भी जब तक पैसा किसी दूसरे से नहीं मांगेंगे, उनके पास टिकट का भी पैसा नहीं होगा, जनरल क्लास में सफ़र करने का भी पैसा नहीं होता है। वे कौन लोग हैं? वे लोग हैं कृषि क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, नरेगा में काम करने वाले मजदूर। आप कितने दिन का पैसा देते हैं? आप उनको वर्ष में 100 दिन का पैसा देते हैं। 100 दिन के पैसे में आप उनको कितना ज्यादा से ज्यादा देते होंगे? साल में साढ़े बारह हजार कयेड़ रुपये दे देते होंगे या चौदह हजार कयेड़ रुपये दे देते होंगे, कहीं-कहीं यदि मजदूरी 200 रुपये प्रतिदिन होगी, तो मान लीजिए उनको 20000 रुपये साल में देते हैं। 20000 रुपये साल में मिलने का मतलब यह है कि उनको एक हजार से डेढ़ हजार रुपये महीने मिलते हैं और उस पैसे से उनको चार-पांच लोगों को पालना होता है। यदि रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट को आधार माना जाए, तब आपको लगेगा कि हम उनके लिए दाल-रोटी की व्यवस्था कर पा रहे हैं, लेकिन यदि आप रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट को नहीं मानते हैं, तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट को नहीं मानते हैं, तो आपके सामने यह समस्या आएगी कि उनको खाने के लिए एक जून की रोटी मिलती है, दाल खाएंगे या नहीं, सब्जी होगी या नहीं, चपाती एक खाएंगे या दो खाएंगे। यह बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या यह है कि जो लोग गाय-भैंस चराते हैं या पहाड़ों पर जो लोग भेड़-बकरी चराते हैं, आप यह समझिए कि वे लोग सुबह भेंड़-बकरी लेकर जाते हैं और जिन लोगों की भेंड़-बकरी या गाय-भैंस लेकर वे जाते हैं, गांवों में लेकर जाते हैं, वे उनको किसी महीने पैसा दे देते हैं और किसी महीने नहीं देते हैं। उन लोगों को हम सोचते हैं कि वे कहीं न कहीं काम कर रहे हैं। इस तरह के लोग हैं। तीसरी तरह के वे लोग हैं जो कुटीर उद्योगों में काम करते हैं। हमारा एमएसएमई सेक्टर, लघु उद्योग का सेक्टर है, जिसमें डायमंड के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, सिल्क के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, बुनकर हैं। इस तरह के लोग हैं। हम हमेशा कहते हैं कि हमारा एमएसएमई सेक्टर इस देश में करेंट एकाउण्ट डेफिसिट को खत्म करता है, 40 प्रतिशत पैसा वही लाता है, एक्सपोर्ट करता है, उसमें 70 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिलता है। किस तरह का रोजगार होता है? रोजगार इसी प्रकार का होता है, जिसका काम चल गया, बढ़िया हो गया, तो वे पैसा दे पाते हैं। अगर पैसा नहीं दे पाते हैं, तो उसके बाद वे भूखे मरते हैं और उनके पास फिर वही परेशानी है। इसके बाद बढ़ई है, कारपेंटर हैं। गांव में काम करने वाले जो कारपेंटर हैं, जिनको आप वर्ण-व्यवस्था में कुछ भी कहें, लेकिन वह उनका हुनर है। आप कारपेंटर को कितना पैसा देते हैं? कारपेंटर को यदि काम नहीं मिलेगा, तो वे शहर की ओर पलायन करते हैं। शहर में, आप यदि इस दिल्ली शहर की बात करेंगे, तो 10x10 के एक-एक कमरे में बीस-बीस लोग रहते हैं, उनके लिए सेनिटेशन की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, वे बढ़िया से स्नान नहीं कर पाते हैं। इस तरह के लोग हैं। इसी तरह की स्थिति लोहार की भी है। लोहार का भी यही हाल है, कहार का भी यही हाल है, कुम्हार का भी यही हाल है। यह जो असंगठित क्षेत्र है, जिसके बारे में हम जाति के नाम पर बात करते हैं, यदि आप हुनर के आधार पर देखेंगे, तो इन रोजगार पाने वालों को कोई अच्छी व्यवस्था दे पाने में हम अक्षम होते हैं। जब हम चुनाव में जाते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए स्वर्ग ला देंगे, हम तुम्हारी आवाज़ संसद में उठाएंगे और सरकार को, मंत्रियों को हमारी बात सुननी पड़ेगी, इस तरह से आपको आपकी व्यवस्था मिल जाएगी, साधन मिल जाएंगे।

दिल्ली में कई गरीब लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके बच्चे कहां रहते हैं, उनकी बीवी रहती है यू कह लीजिए कि अंडमान-निकोबार में, समझिए कि उसे हमने कालापानी की सजा दे रखी है। उनके बच्चे पढ़-लिख रहे हैं या नहीं, गुंडे या बदमाश हो रहे हैं, कुछ पता नहीं है, क्योंकि उनके पास न तो बच्चों को पढ़ाने के लिए और न ही परिवार के लिए अच्छी तरह से रहन-सहन के लिए पर्याप्त पैसा होता है, बड़ी मुश्किल से घर चलाने के लिए पैसे मिलते हैं।

इसी तरह से फिशरमैन हैं। यहां पर कोस्टल एरिया से काफी सदस्य आते हैं। हम सुनते हैं कि मछुआरों के लिए बहुत काम हो रहे हैं, उनके लिए आयोग बन रहा है, बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन फिशरमैन की स्थिति क्या है, नदी-समुद्र में जाते हैं मछलियां पकड़ने। यहां पर हमारे सदस्य अधीर चौधरी जी बैठे हैं, इनके यहां काफी तालाब हैं। यह जानते हैं कि अगर मछली उन्हें मिल गई तो सही और नहीं मिली तो फिर कोई काम नहीं। इसी तरह से बीड़ी मजदूर हैं। जिन इलाकों में बीड़ी बनती है, वहां बीड़ी मजदूरों की स्थिति बड़ी दयनीय है। बीड़ी वर्कर्स में महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं। उनके लिए सरकार कहती है कि हमने साधन दे दिए, यह कर दिया, वह कर दिया। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जब उन्हें टीबी हो जाती है तो उनका क्या होता है। जब वे मर जाते हैं, तो उनके परिवार वालों का, उनकी स्त्रियों का क्या होता है, हम उनके इलाज की क्या व्यवस्था करा पाते हैं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए।

इसी तरह से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं। कृषि के बाद कंस्ट्रक्शन के काम में सबसे ज्यादा मजदूर काम करते हैं। अगर कोई मजदूर कंस्ट्रक्शन के काम में लगा हुआ है और भवन बना रहा है, किसी इंजीनियर या ठेकेदार की गलती के कारण अगर इमारत धराशायी हो जाए, तो उसका क्या होगा, उसके परिवार का क्या होगा और उसके जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, दो-चार साल के, उनका क्या होगा, वे कहां से पढ़ेंगे। उसकी पत्नी का क्या होगा, क्योंकि वह ऐसे माहौल में रह रही है कि कभी घर से बाहर निकली ही नहीं, जिसने समाज को नहीं देखा। कंस्ट्रक्शन वर्कर मर गया, हम समझौता कराने जाते हैं, नौकरशाह, ठेकदार और हम सब मिलकर समझौता करते हैं तथा 5000 रुपए या 10,000 रुपए मुआवजे के रूप में देकर चले आते हैं। लेकिन हम कभी यह नहीं सोचते कि इतनी रकम से उसके परिवार का क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा।

इसी तरह से जो जंगलों में काम करते हैं, कचरा उठाने वाले लोग हैं, स्क्रैप ढोने वाले लोग हैं। वे दिन भर गलियों में लोहा दीजिए, लोहा दीजिए या पेपर दीजिए, आवाजें लगाते हैं और रद्दी सामान इकट्ठा करते हैं। वे इस तरह की चीजों से रोज जूझते हैं। फिर जब हम अपने गांव जाते हैं तो वहां स्ट्रीट वेंडर्स को देखते हैं। इसी सदन ने स्ट्रीट वेंडर्स की भलाई के लिए बिल पास किया था। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि स्ट्रीट वेंडर्स को देखो और भगा दो, रोड खाली कराओ। स्ट्रीट वेंडर्स में वे लोग आते हैं जो रेहड़ी लगाते हैं, खोमचा लगाते हैं, चाय, पावभाजी बेचता है, झारखंड और बिहार में झालमूड़ी खाते हैं, उसे बेचते हैं या कपड़ा-गारमेंट बेचते हैं। एक ही आदमी पर पूरा परिवार निर्भर करता है। इस तरह के लोगों की संख्या 93 प्रतिशत है और ये सब असंगठित क्षेत्र में आते हैं। देश की 67 साल की आजादी के बाद भी हम इनके लिए कुछ मुहैया नहीं करा पाए। इसीलिए मैं यह बिल लेकर आया हूं कि सरकार कम से एक्टीवेट हो और सरकार इन लोगों के बारे में सोचे। पहले क्या होता था, एक बहुत बढ़िया संस्कृत का श्लोक है –

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः।

चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम।।

वह यह कहता है कि हम यदि बड़े बुजर्ग का सम्मान करेंगे, अभिवादन करेंगे, रोज करेंगे तो क्या होगा, चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, हमारी आयु, विद्या यश और बल, ये चारों बढ़ेंगे। आज क्या होता है, आप समझिए कि संयुक्त परिवार का पूरा का पूरा कंसेप्ट तहस-नहस हो गया है। परिवार में लड़ा काम करने लगा। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं, मेरा छोटा भाई मुम्बई में रहता है। हम अपने पेरेंट्स को यहां लाने का प्रयास करते हैं, वे आते हैं। कभी मेरे यहां और कभी छोटे भाई के महीना-दो महीना रह गए। कभी कभार मेरी बहनों के यहां रहने चले गए। लेकिन उनका मन अपने गांव में ही लगता है। गांव में यदि लगता है तो हम परिवार के सभी लोगों को चिंता रहती है कि उन्हें अच्छी मेडिकल फैसेलिटी मिलेगी या नहीं। उन्हें अच्छे नौकर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। उन्हें गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। यदि हमारे पास साधन हैं तो हम इसकी अपेक्षा करते हैं और अपने माँ-बाप को बढ़िया तरीके से रख पाने में सक्षम होते हैं। लेकिन जो गरीब आदमी है, जो दस-बाई-दस के कमरे में दिल्ली में रह रहा है, जिसे बस या मैट्रो में जाने के बाद 500-1000 रुपया ही महीने में बच पाता है, चाहे वह दिल्ली, मुम्बई या कोलकाता में रहता है। लेकिन उनके बुजुर्गों का क्या होगा? संयुक्त परिवार सिस्टम इसीलिए तहस-नहस हो रहा है। हम सोचते हैं कि बड़े बुजुर्गों बेकार में पड़े हुए हैं, जल्दी इनकी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है। उसका कारण ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि उनकी मृत्यु हो जाए, उसका कारण ये है कि हमारे पास संसाधन नहीं हैं, साधन नहीं हैं। स्टेट ने जो ओल्ड-ऐज के नाम पर पैसा दे रखा है वह बहुत ही कम है। कहीं 150-200-250-500 रुपये देते हैं, इससे क्या कहीं घर चलने वाला है, पांच सौ रुपये से क्या होने वाला है? हमने टार्गेट फिक्स कर दिया है कि बीपीएल की कैटेगरी अलग है, एपीएल की कैटेगरी अलग है। मैं जब स्टेंडिंग कमेटी फाइनेंस का मैम्बर था तो माननीय महताब जी बड़े सीनियर मैम्बर हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं और वे जब भी बोलते हैं बड़ा अच्छा बोलते हैं, तो हम लोगों के सामने सुधा पिल्लई जी आई थीं। वह प्लानिंग कमेटी की मैम्बर सैक्रेट्री थीं। हमने अपनी कमेटी की रिपोर्ट में कहा है कि उन्होंने ऑन-रिकार्ड कहा कि जो इस देश की पॉलिसी बन रही है, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना है, पीडीएस सिस्टम है, या समाज को आगे बढ़ाने का सवाल है, हमने टार्गेट कर लिया है कि हम गरीब को देंगे। वर्ष 1995-96 के पहले अगर किसी को गरीब कह दीजिए तो उसे यह गाली नजर आती थी लेकिन आज जमाना आ गया है कि आप किसी को गरीबी की रेखा में डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं, सारे एमपीज-एमएलएज को यही टेंशन है। लोग कहते हैं कि आप हमारा लाल-कार्ड बनवा रहे हैं या नहीं, बीपीएल में हमारा नाम डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं? इस सरकार की पॉलिसी ने ऐसी सिचुएशन क्रेट कर दी है कि गरीब के लिए अलग, अमीर के लिए अलग, व्यापारी के लिए अलग, एमपी के लिए अलग, मजदूर के लिए अलग कानून है और इस पॉलिसी ने इस देश का कबाड़ा कर दिया। सुधा पिल्लई जी ने ऑन-रिकार्ड कहा कि यह इस देश का फैशन बन गया है और इसी टार्गेटिड चीज के कारण सभी लोग गरीब रहना चाहते हैं, कोई अमीर नहीं होना चाहता है। जब आप ओल्ड-ऐज पैंशन देते हैं तो उसमें ऐसे लोग हैं जो जाति के आधार पर हो, चीजों के आधार पर हो, आर्थिक आधार पर हो।

मान लीजिए कि किसी के पास जमीन है, आप कह रहे हैं कि इसके पास जमीन है, इसके पास छत है। बड़े बुजुर्ग जो गांव में रह रहे हैं उनकी स्थिति देखिये? मेरे पिता जी 70 साल के हो गये, मां 68 साल की हैं, क्या मैं उनसे कल्पना करूंगा कि वे खेती करेंगे। जब वे खेती नहीं कर पायेंगे, किसी के साथ बंटाईदारी करेंगे तो क्या वे अपना पेट पालने की स्थिति में हैं? यदि नहीं हैं तो आपने जो एक लॉलीपॉप थमाने का, पैंशन देने का काम किया है क्या यह सही है? जितनी भी सब्सिक्वेंट सरकारें रही हैं, उन्होंने जो लॉलीपॉप थमाने का काम किया है, उसके कारण यह इतनी बड़ी समस्या हो रही है जिसका कि आप लोगों को कोई न कोई हल ढूंढना पड़ेगा।

सभापति जी, मैंने अपने बजट भाषण में कहा है कि आप नेशनल पैंशन सिक्योरिटी फंड बनाइये। आप इतनी सारी चीजें बना रहे हैं, आपके पास इतने साधन हैं। मैंने कहा कि कम से कम उसकी शुरुआत कीजिए। आप 50 हजार करोड़ रुपये का एक फंड बनाइये और फंड बनाने के बाद स्टेट गवर्नमेंट को भी कहिये, क्योंकि यहां से आप पॉलिसी बना देते हैं जैसे मनरेगा जैसी पॉलिसी बना दी, सर्व-शिक्षा-अभियान बन गया, राजीव गांधी विद्युतीकरण प्रोग्राम बन गया। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना कांग्रेस सरकार ने बनाई, अधीर साहब ने बनाई। उन्होंने कहा कि सब गांवों को बिजली दे देंगे। बिजली में क्या दिया उन्होंने कि केवल बीपीएल को ही बिजली देंगे। यानी गरीब आदमी बिजली में रहेगा और अमीर आदमी बिजली में नहीं रहेगा। उसके लिए 10 किलोवाट का, 16 किलोवाट का ट्रांसफोर्मर दे दिया। अब अमीर आदमी यदि गांव में दबंग है तो उसने क्या किया? जबर्दस्ती बिजली जलाना शुरु कर दिया। गांव का ट्रांसफोर्मर या तो चोरी हो गया या जल गया। इस तरह की पॉलिसी मत बनाइये। इसी तरह की पॉलिसी का यह कमाल है कि इस तरह की सिचुएशन पैदा हो गयी। राज्य सरकार के ऊपर कभी आप राजीव गांधी विद्युतीकरण के नाम पर, कभी सर्व-शिक्षा अभियान के नाम पर, कभी फूड-सिक्योरिटी के नाम पर, कभी नरेगा के नाम पर जो दे रहे हैं तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम माइंडलेस पॉपुलरिज्म के कारण आप जो इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं वह पूरा नहीं होगा।

एक यूनीवर्सल पेंशन स्कीम आप लागू कीजिए, जिन्हें लेना होगा वे लेंगे और जिन्हें नहीं लेनी होगी वे नहीं लेंगे। आपको पता है कि पीडीएस सिस्टम की क्या समस्या है? छत्तीसगढ़ में पीडीएस सिस्टम क्यों अच्छा है और दूसरी जगह क्यों खराब है। क्योंकि वर्ष 1996-97 में आपको ध्यान होगा कि जितने सभी लोगों ने नाम पर चाहे वे गरीब थे या अमीर थे, सभी के नाम पर राशन कार्ड होता था। अधीर साहब, आपके नाम पर भी होता था और हमारे नाम पर भी था। एक समय ऐसा आया कि 1996-97 में हमने कहा कि नहीं, एकदम गरीबों को ही राशन कार्ड देंगे, इसमें अमीर का कोई मतलब नहीं है। अमीर को यदि बासमती चावल खाना होगा तो वह क्यों वह राशन का गेहूं या चावल खरीदने जाएगा। वह गरीब का हक क्यों मारने जाएगा? इस तरह के केवल दो-चार परसेंट लोग ही हो सकते हैं। लेकिन वह एक ऐसा सिस्टम था जिसमें ट्रिपिंग नहीं होती थी। आज ऐसा हो गया है कि मार्केट में सामान के दाम एकदम बढ़ रहे हैं, यदि 1996-97 के पहले की स्थिति देखें, चाहे मिनिमम स्पोर्ट प्राइज का सवाल हो, चाहे मार्केट में चावल, आटा, दाल का भाव हो, उनमें जो फर्क आया है, वह यही आया है कि हमने वोट बैंक की राजनीति के आधार पर अपने माइंड को बदल दिया है और उस माइंडसेट का प्रभाव है कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है। अगर आप गरीबों के कल्याण के लिए सोचते तो इस तरह की बात ही सोचनी चाहिए।

दुनिया में सोशल सिक्योरिटी क्या है? ऐसा नहीं है कि हम अपने यहां कोई नई चीज लागू कर रहे हैं और वह दुनिया में कहीं लागू नहीं है। सोशल सिक्योरिटी का जनक बिस्मार्क है। वर्ष 1889 में जर्मनी में सोशल सिक्योरिटी, हुआ यह था कि जर्मन पार्लियामेंट में एक कानून पास हुआ था और उस वक्त उन्होंने कहा था कि "Those who are disabled from work by age and invalidity have a well-grounded claim to care from the state." यह जर्मनी में अपना कानून 1889 में पास किया था। जर्मनी में सोशल सिक्योरिटी उसी वक्त से लागू है। उसके बाद जब यह आगे बढ़ा तो यूएसए में क्योंकि यूएसए अपने आपको बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक स्टेट मानता है, वहां सिविल वार अमीर और गरीब में हो गई और पचास परसेंट से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे थे। वर्ष 1776 में उन्होंने डिक्लेयरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस किया, सोशल सिक्योरिटी लागू करने के लिए वे 1776 से सोच रहे हैं। आप यह सोचिए कि हम कम्पीट करने की बात सोचते हैं, हम कहते हैं कि हम वर्ल्ड इकोनोमी बनेंगे, हम अमेरिका से आगे जाएंगे, भारत विश्व गुरु बनेगा। इसमें किसको परेशानी है? इसमें परेशानी यह है कि वर्क फोर्स, वर्क फोर्स क्या है। आप हमेशा कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है। हमारी युवा पापुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है। कभी आपने सोचा है कि आज आप सैकेंड लार्जेस्ट ओल्ड एज पोपुलेशन में भी गुजर रहे हैं। 18 करोड़ लोग वर्ष 2020 से ले कर 2025 तक साठ साल से ऊपर हो जाएंगे और आप दुनिया में नम्बर एक पर ओल्ड एज पापुलेशन हो जाएंगे। जिस तरह से युवा बढ़ रहा है, उसी तरह से यहां बूढ़े लोग भी बढ़ रहे हैं। आप युवाओं के लिए सारी पालिसी बना रहे हैं। आप बूढ़े लोगों के लिए पेंशन बनाइए। अमेरिका ने 1776 में शुरू किया और उसने इस चीज को आगे बढ़ाया। आपको मालूम है कि पुलमान स्ट्राइक हुई थी। यह 1881 की बात है। 1776 में भी जब ये सफल नहीं हुए तो पुलमान स्ट्राइक हो गई और इतनी बड़ी स्ट्राइक हुई तो लगा कि अमेरिका कहीं न कहीं रुक जाएगा, टूट जाएगा और गरीब तथा अमीर के बीच इतनी बड़ी खाई हो जाएगी कि उसे पार पाना मुश्किल है। इसके बाद 1935 में अमेरिका ने सोशल सिक्योरिटी एक्ट पास किया और रूजवैल्ट वहां के 1930 में जब राष्ट्रपति हुआ करते थे तो उन्होंने इस सिस्टम को आगे बढ़ाया और अमेरिका में यह सिक्योरिटी सिस्टम 1935 से लागू है। सौ साल बाद भी हम इस चीज को यहां पर लागू करने में अपने आप में परेशानी अनुभव कर रहे हैं। इसके बाद जर्मनी में, अमेरिका में, फ्रांस में, ये सारे सोशल सिक्योरिटी के सिस्टम लागू हो गये तो 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंडियन लेबर ऑरगेनाइजेशन बना और आईएलओ ने अपना 102 कंवेंशन जो कहता है:-

ILO Convention No. 102 says:

"Covering minimum standard of social security like medical care, sickness benefit, unemployment benefit, old-age benefit, invalidity benefit, employment injury benefit, family benefit, maternity benefit and survivor's benefit is very much important. "

It was adopted in the year 1950.

आईएलओ ने फाइनली कंवेंशन नं. 102 में इन सारी चीजों को किया और जब हमारे फोरफादर्स ने संविधान बनाया जो 26 जनवरी 1950 को अपने ऊपर लागू किया।

Article 14 of our Constitutions says:

"**Equality before law** – The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India."

सबको ईक्वल राइट है तो आप 7 प्रतिशत संगठित क्षेत्र के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उनको आप सारा बैनेफिट, सारी सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं और यह जो 93 प्रतिशत हमारे मां-बाप हैं, अनऑरगेनाइज्ड सैक्टर है, प्राइवेट सैक्टर है, जैसे प्राइवेट सैक्टर में कोई आदमी काम कर रहा है और मान लीजिए कि 58 साल में नौकरी से निकाल दिया गया तो 60 साल के बाद वह क्या खाएगा, इसके बारे में क्या कभी सोचा है? इसीलिए इसमें यह कहा कि आप डिसक्रिमिनेट नहीं करेंगे और आज डिसक्रिमिनेशन हो रहा है। इसी से आगे बढ़कर आर्टिकल 41 और 42 कहता है:

Similarly, Article 41 of our Constitution says:

"**Right to work, to education and to public assistance in certain cases --** The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want. "

Then, Article 42 of our Constitution says:

"**Provision for just and humane conditions of work and maternity relief --** The State shall make provision for securing just and humane conditions of work and for maternity relief."

Then, Article 43 of our Constitution says:

"Living wage, etc., for workers – The State shall endeavour to secure, by suitable legislation or economic organization or in any other way, to all workers agricultural, industrial or otherwise, work, a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities and, in particular, the State shall endeavour to promote cottage industries on an individual or co-operative basis in rural areas."

जब इतनी बातें संविधान ने कह दीं, हम रोज पार्लियामेंट में संविधान कोट करते हैं, उसी के आधार पर कानून बनाते हैं, जब उसने यह कह दिया कि ऑरगेनाइज्ड और अनऑरगेनाइज्ड का कोई मतलब नहीं है, पब्लिक और प्राइवेट का कोई मतलब नहीं है। सबको आपको समान अधिकार देना है, सभी के बारे में सोचना है, सबका विकास, सबका साथ। सबके अच्छे दिन आने वाले हैं।...(व्यवधान) सबके अच्छे दिन की कल्पना करने के लिए ...(व्यवधान) सबके अच्छे दिन आ गये। इसीलिए तो हम यह बिल लेकर आए हैं। आप यह बिल नहीं लाए हैं। यह सरकार की सोच कहलाती है। हम यह बिल लेकर आए हैं। माननीय नरेन्द्र मोदी जी की यह सोच है और आपको पता है कि इस देश में पहली बार ऐसा हुआ कि एक चाय बेचने वाला व्यक्ति इस देश का प्रधान मंत्री हुआ है।...(व्यवधान) इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि जब इस देश ने हमें एक मौका दिया है और भारत का यह इतिहास रहा है कि यदि वेद और पुराण की बात करेंगे तो हमने इसके बारे में बहुत कुछ सोचा है। हमारे यहां पहले से ये चीजें मौजूद थीं कि जिस जातिगत व्यवस्था को, हुकमदेव नारायण बाबू जी इस पर ज्यादा बात करेंगे। जिस जातिगत व्यवस्था के बारे में हम बहुत ज्यादा बोलते हैं और मनु स्मृति बार बार कोट करते हैं। उस मनु स्मृति का एक बहुत अच्छा श्लोक है।

16.00 hrs.

मुन स्मृति का बहुत अच्छा श्लोक है -

आर्तस्तु कुर्यस्वस्थः सन् यथा भाषित मादितः

सदीर्घस्यामि कालस्य तथ्य भेंतो वेतनम्।।

16.01 hrs (Shri Hukmdeo Narayan Yadav *in the Chair*)

मनुस्मृति कहती थी कि किसी आदमी को रोजगार साल भर का मिलना है, किसी जाति, धर्म, संप्रदाय और वर्ग के आधार पर नहीं मिलना है। कोई आदमी यदि बीमार हो जाए, काम नहीं करे और जब वह लौट कर आए तो उसे उतने दिन का पैसा दीजिए। उनसे काम कराइए, यह काम उनका ही है, उन्हीं के माध्यम से होगा। इसका मतलब यह था कि मनुस्मृति, जिसके बारे में इतना क्रिटिसाइज होता है, कहता था कि हम इस देश में सभी चीजों को इक्वल लेते थे। जातिगत व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। प्रो और पोस्ट आरयन वर्ण व्यवस्था ऐसी थी कि कर्म के आधार पर चीजें तय होती थी। आज अगर हम अपने बच्चों को आईटीआई करा रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, एमबीए करा रहे हैं और कोई पोलिटिशियन बन रहा है। इस तरह से यह कोई जाति नहीं है। कोई आईटीआई करता है, कोई कारपेंटर का काम सीख रहा है, कोई इलैक्ट्रीशियन का काम कर रहा है। यदि एक यूनियन बन जाए, जैसे इलैक्ट्रिशियन की यूनियन है, कारपेंटर की यूनियन है तो क्या इसे जाति कहेंगे? 1835 में अंग्रेजों के आने के बाद यह सिस्टम हुआ। मैं इसके लिए बहुत अच्छी बात कहता हूं कि हम किस वेद पुराण की बात कहते हैं? हम रामायण की बात कहते हैं, सबके घर में रामायण होगी, रामायण के रचियता कौन थे? महर्षि बाल्मिकी थे। यदि जाति की बात कहें तो वह अनुसूचित जाति के थे या नहीं? महाभारत की बात कहते हैं, वेद की बात कहते हैं, उपनिषद् की बात कहते हैं। किसने महाभारत ग्रंथ लिखा? महर्षि वेद व्यास ने लिखा। किसके बेटे थे? मछुआरे के बेटे थे। अनुसूचित जाति के बाल्मिकी थे जिन्होंने रामायण लिखी। महाभारत ग्रंथ महर्षि वेद व्यास ने लिखा। मैंने आर्टिकल 14, 41 और 43 कोट किया, संविधान के रचियता कौन हैं? डॉ. अंबेडकर हैं। कहां जाति व्यवस्था थी? कौन सा भगवान ब्राह्मण हैं? आप बताएं कि तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़ बोलते हैं लेकिन मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो क्या तमिल में उच्चारण होता है या संस्कृत में होता है? अधीर जी, आप बताएं कि बंगाल में क्या बंगाली में पंडित पूजा कराता है या संस्कृत में कराता है। यहां कविता जी बैठी हैं। आप बताएं कि तेलंगाना में पूजा में पंडित तेलुगू में बोलता है या संस्कृत में बोलता है। संस्कृत एक ऐसी भाषा थी जो कश्मीर से कन्याकुमारी को, काबुल से कंधार को जोड़ती थी। उस सिस्टम को 1835 में वर्ण व्यवस्था में डाल दिया। जातिगत व्यवस्था का दबदबा इतना हो गया, वोट बैंक की राजनीति इतनी प्रभावी हो गई, हमारी सोच इतनी छोटी हो गई कि हमने सबको जातिगत एंगल से देखना शुरु कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि जहां विकास होना चाहिए था, सबका विकास होना चाहिए था, सबके साथ विकास होना चाहिए

था, उसे बंद कर दिया। मैं इसके जवाब में बाद में बोलूंगा लेकिन यह कहूंगा कि नए कन्वेंशन यहां तक कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है कि पूरी दुनिया में जिस तरह ओल्ड एज के लोग बढ़ रहे हैं, उनके विकास के लिए सोचने की समग्र आवश्यकता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है, उसकी रिकमेंडेशन है -

1. "Reforming expensive and equitable Civil Service Pension Scheme.
2. Addressing the needs of millions of internal and international migrant workers in a globalised labour market.
3. Improving the performance of privately managed defined contribution scheme.
4. Increasing the transparency, accountability and efficiency and fund management of publicly managed scheme.
5. Mitigation preserved labour market incentive due to tax wages and incentive for early retirement."
6. And, the most important one is, "More systematically talking into account elements of the fourth pillar in particular how health insurance affects the adequacy of pension income and how other support mechanism affects elderly poverty prevalence."

यदि गरीबी को हटाना है, गरीबों को सचमुच न्याय देना है। तेंदुलकर की कमेटी, लकड़वाला की कमेटी, एन.सी.सक्सेना की कमेटी, रंगराजन की कमेटी, अमीरों की कमेटी, गरीबों की कमेटी, शेडयूल्ड कास्ट की कमेटी, शेडयूल्ड ट्राइब्स की कमेटी, ओबीसी की कमेटी, ब्राह्मणों की कमेटी, क्षत्रियों की कमेटी यदि इन सारी चीजों से दूर होना है तो इस देश के लिए युनिवर्सल पेंशन स्कीम ही एकमात्र तरीका है और वह तरीका यह नहीं है कि हम आपको बहुत कुछ दे पाने की स्थिति में होंगे। हम यह कह रहे हैं कि आपको कम से कम दो जून की रोटी और आत्मसम्मान मिलना चाहिए। आज बच्चे अपने मां-बाप को रखना नहीं चाहते, जो बूढ़े अपना इलाज कराना नहीं चाहते, जो अपने परिवार से मिलने के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेन्ट होते हैं। आप जब मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में जाते हैं तो आपको एक बड़ी फोर्स भिखमंगों की नजर आती है, यदि हम उन्हें सम्मान से जीना सिखा देंगे, यदि इससे कुछ कर पायेंगे तो हम इस देश के लिए कुछ कर पायेंगे।

इसीलिए मंत्री महोदय मेरा आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस बिल को स्वीकार कर लीजिए, इस देश में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लागू कर दीजिए। गरीबों का कल्याण कीजिए, गरीबों का कल्याण करेंगे, तभी कुछ होगा। "आपदा मा पतन्तिनाम हितो अप्यायाती हेतुताम, मातृ जंया ही बत्सस्या असत्म भवति बंधने।"

क्योंकि आज आपके पास पावर है, आज आपके पास साधन है और हम कुछ कर पाने की स्थिति में हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

माननीय सभापति : बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, माननीय वक्ता यदि समय का ध्यान रखेंगे तो अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले सकेंगे। श्री अधीर चौधरी जी, आप बोलिये।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, Nishikant Dubey ji has already enlightened us on this issue without being exhaustive and I must appreciate his views, sentiments and emotions, which have been reflected by his speech and the legislation that he has brought.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): Sir, I would like to bring it on record. मैं दोनों सदनों में रहा हूं, लेकिन मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि प्राइवेट मैम्बर बिल पर पहली बार मैंने देखा है कि भारत सरकार के पांच-पांच मंत्री इस समय सदन में बैठे हैं। यह लोक सभा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि निजी विधेयक पर हो रही बहस को भारत सरकार के पांच मंत्री सुन रहे हैं। यह सरकार की गम्भीरता, सरकार की मजबूती और सरकार के हुनर को दर्शाता है। हम अपनी तरफ से और सदन की तरफ से बधाई देना चाहेंगे।

श्री अधीर रंजन चौधरी : ऐसा होना चाहिए, क्योंकि रेस्टर डयूटी तो लगी हुई है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : रेस्टर तो पहले भी लगता था।

श्री अधीर रंजन चौधरी : अभी श्री नरेन्द्र मोदी जी भी कड़ा रुख अपना रहे हैं, इसलिए आप लोग यहां बैठे हैं, देखने में अच्छा लगता है। पीयूष गोयल साहब का ध्यान भी आकर्षित किये हैं। Sir, I would like to say that a graceful and honorable old-age is a childhood of immortality. हमारे देश में बूढ़े लोगों का हम हर वक्त सम्मान करते हैं। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि हमारी आर्थिक व्यवस्था के चलते हम कभी-कभी ओल्ड एज पापुलेशन को अपना बर्डन समझने लगे हैं। जब पिछली यूपीए सरकार थी तो चुनावों की घोषणा होने के पहले they decided to ensure a minimum pension of Rs.1,000 a month under the retirement fund body, EPFO's scheme, which would benefit 28 lakh pensioners. It was said at that time that it would be a reality soon. An EPFO official told the PTI that Employees' Pension Scheme-95 (EPS-95) will be implemented now as the elections are over. So, it is incumbent upon the present dispensation to implement this because due to model code of conduct, it was stalled and now there is no obstruction in the way of implementing this scheme at least.

Since the day we were civilised and we started to lead a gregarious life, the society was formed. Since that time, it means the time immemorial, helping the disadvantaged section of our society has become a practice, has become a norm of human civilisation.

Sir, in the Roman Empire, social welfare to help the poor was enlarged by the Emperor Trajan. Trajan's programme brought him acclaim from many, including Pliny the Younger.

In Jewish tradition, charity is a matter of religious obligation rather than benevolence. Contemporary charity is regarded as a continuation of the Biblical Maaser Ani as well as Biblical practices, such as permitting the poor to glean the corners of a field and harvest during the sabbatical year. Voluntary charity along with prayer and repentance is befriended to ameliorate the consequences of bad acts.

During the Song Dynasty in 1000 AD, the Government supported multiple forms of social assistance programmes including the establishment of retirement homes, public clinics and pauper's graveyards.

According to Robert Henry Nelson, the medieval Roman Catholic Church operated a far-reaching and comprehensive welfare system for the poor.

Last but not least, the concepts of welfare and pension were put into practice in the early Islamic law of the Caliphate in the form of *zakat*. Now-a-days, Muslim people are observing the Ramzan. There are five pillars of Islam and out of those five pillars, one pillar is *zakat*. During the time of Caliph Umar in the 7th Century, the taxes collected in the treasury of an Islamic Government were used to provide income for the needy, including the poor, elderly, orphans, widows and the disabled.

Early welfare programmes in Europe included the English Poor Law of 1601 which gave parishes the responsibility of providing poverty relief assistance to the poor. This system was substantially modified by the 19th Century Poor Law (Amendment) Act which introduced the system of workhouses.

It was predominantly in the late 19th and early 20th Centuries that an organised system of state welfare provision was introduced in many countries. Otto Von Bismarck, Chancellor of Germany – already referred to by my esteemed friend, Shri Dubey – introduced one of the first welfare systems for the working classes in 1883. In Great Britain, the liberal government of Henry Campbell-Bannerman and David Lloyd George introduced the national insurance system in 1911, a system which was later expanded by Clement Attlee. The United States did not have an organised welfare system until the Great Depression where emergency relief measures were introduced under President Roosevelt. Even then, Roosevelt's new deal focussed predominantly on a programme of providing work and stimulating the economy through public spending on projects rather than on cash payment. So, Sir, it is not a new concept to us. However, in so far as India is concerned, we all know that it has the second largest population in the world. Further, India is one of the poorest countries in the world too.

Sir, in 1819, in a speech to mark the Independence of Venezuela, Simon Bolivar pronounced, which translates as follows : "The most perfect system of Government is that, which produces the greatest amount of happiness; the greatest amount of social security; and greater amount of political stability." We cannot expect political stability in any country whatsoever without social security. Therefore, I would like to give my suggestions now because I know that there is paucity of time. So, I am a little restive to put my suggestions so as to draw your attention as well as that of the entire House. Those who are in greatest need should be considered first, and development objectives should be given priority to the poorest and underprivileged.

I cannot entirely subscribe to the view of Shri Nishikant Dubey because everything cannot be run in India in a market-oriented manner. I am saying this because we have a big chunk of poor / underprivileged population who want to be fed by the country itself. The purpose is to eradicate poverty; promote full and productive employment; and encourage active participation in society by everyone. Therefore, I will put forward some suggestions, namely, right to social security; social security coordination; sickness, maternity and paternity benefits; old-age benefit and surety, and orphanage security; and last but not least is the creation of a Social Security Tax Fund at a proportionate rate of income and benefit that may be extended to all who have meagre or no income as well.

Now, we are all very much familiar with some popular texts / verse, namely, demographic dividend; demographic eco; dependency ratio; and so on. We have to look into the Indian demographic profile if we want to peep into the depth of social security.

The lifespan of our population has increased due to the progress and development of India. डॉ. हर्ष वर्धन जैसे डॉक्टर लोग हमारे देश में हैं, इसलिए हमारी आयु बढ़ती जा रही है। जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय हमारी औसत आयु 31 वर्ष थी। अब हमारी औसत आयु 67.5 वर्ष पहुंच चुकी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने आम लोगों की जिन्दगी बचाने के लिए तरह-तरह की कार्यवाही की है, हम दवाईयों का इंतजाम कर चुके हैं। इन्हीं कारणों से आज हमारी औसत आयु बढ़कर 67 साल के आसपास हो चुकी है। 55 से 64 साल की आबादी की रेश्यो 6.9 परसेंट है। 25 से 54 साल की आबादी का हमारा रेश्यो 40 परसेंट है। हमारी जनसंख्या का ग्रोथ रेट 1.2 परसेंट है। हमारी डिपेंडेंसी रेश्यो 52 परसेंट है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे लोगों की जितनी उम्र बढ़ती जाएगी, उतना ही हमें पेंशन व्यवस्था की जरूरत होगी। हम पीछे हैं। हमें जापानी सिंड्रोम के बारे में मालूम है। जापानी सिंड्रोम में डिपेंडेंसी रेश्यो में एक फैमिली को खिलाने के लिए चार वर्कर थे, आज दो हो गए हैं। हमारे हिन्दुस्तान में डिपेंडेंसी रेश्यो 52 परसेंट है। इसलिए हम कहते हैं कि हमें डेमोग्रेफिक डिवेडेंड मिलेगा क्योंकि काम करने वाले लोगों की संख्या हमारे देश में ज्यादा है। लेकिन आगे क्या होगा? आने वाले दिनों में हमारे देश में ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। इन लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने की जरूरत और ज्यादा महसूस होगी। अमेरिका, यूरोपिन कंट्रीज और जापान सोच चुके हैं। इसलिए उन्होंने सारे इंतजाम किए हैं। लेकिन फिर भी उन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2001 में जब यशवंत सिन्हा जी वित्त मंत्री थे तो उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा था कि पेंशन फण्ड अनसस्टेनेबल होते जा रहे हैं। इसको सस्टेनेबल करने के लिए हमें ध्यान देना होगा। इसलिए डायरेक्ट बेनीफिट से डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन की तरफ हमारा ट्रान्जीशन हुआ है। इसलिए हमने पेंशन और रेगूलटरी फण्ड बनाया है। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को हम लोग अनुमति दे चुके हैं। यह सरकार 49 परसेंट करना चाहती है, इस पर भी हमारी अनुमति है। क्योंकि हम चाहते हैं कि पेंशन के दायरे में ज्यादा से ज्यादा हिन्दुस्तान की पॉपुलेशन को लाया जाए। हम लोगों ने एक नयी पेंशन स्कीम चालू की जो कि एक कम्पलसरी स्कीम है। for the Government employees from June, 2014 (except the Armed Forces). Again, NPS was launched on voluntary basis for all citizens of the country, including the unorganized sector workers from 2009.

श्री निशिकान्त दुबे : इसको अटल जी की सरकार ने ऑर्डिनेंस के ज़रिए किया था।

श्री अधीर रंजन चौधरी : उन्होंने ऑर्डिनेंस से किया था और हम लोगों ने इसका कानून पारित किया था। I am not at all interested in the war of taking credit.

Sir, in addition to it, to encourage people from the unorganized sector to voluntarily save for their retirement, the Central Government launched the co-contributory pension scheme called '*Swavalamban*'. The Government will contribute a sum of Rs. 1,000 to each eligible NPS subscriber, who contributes a minimum of Rs. 1,000 and maximum Rs. 12,000 per annum. This Scheme is presently applicable up to 2016-17.

Therefore, I personally feel that the older population of our country would be our asset if only we are able to provide them with health facilities, and an assured income sufficient enough to have a decent living. I think that will be a great tribute to our older population.

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल (दमोह) : सभापति महोदय, हमारे सहयोगी सम्माननीय श्री निशिकांत दूबे ने असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों और पेंशनधारी लोगों के लिए पेंशन की राशि का प्रावधान करने का विधेयक लेकर आए हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिए इस सदन में खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, सबसे पहले मैं निशिकांत जी से एक आग्रह करूंगा। इसमें पेंशनभोगी शब्द लिखा है। मुझे नहीं पता कि यह उन्होंने लिखा है या संसद की परंपरा है कि हम कोई चीज़ लिखते हैं तो पहले वह अंग्रेजी में ड्राफ्ट होती है और फिर हिन्दी में होती है तो उसका कई बार स्वरूप बदल जाता है। पर, मुझे लगता है कि पेंशनभोगी शब्द के बजाय पेंशनधारी शब्द ज्यादा बेहतर होता।

दूसरी बात, मैं असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों के बीच काम करता हूं। मैं भेद नहीं कर रहा, पर मैं एक आंकड़ा सदन में दे रहा हूं। यह इसी संसद का आंकड़ा है। जब 90 के दशक में मज़दूरों की गणना हुई तो 43 करोड़ 40 लाख असंगठित क्षेत्र के मज़दूर बताए गए और लगभग चार करोड़ सिर्फ़ संगठित क्षेत्र के मज़दूर बताए गए। मैं नहीं जानता कि इसमें भेद किस ने किया? न तो मैं उस अतीत में जाना चाहता हूं कि दुनिया में किस देश ने सामाजिक सुरक्षा की गारंटी के लिए इन मज़दूरों की चिंता की। लेकिन मुझे यह अच्छे-से याद है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधान

मंत्री थे तो सामाजिक सुरक्षा के लिए उन्होंने चिंता की। उसके बाद एक कानून बना था। निर्माण मज़दूरों के लिए इस देश में वर्ष 1998 में कानून बना। उसके बाद सामाजिक सुरक्षा की गारंटी के लिए उन्होंने प्रावधान किया कि अगर एक सौ करोड़ रुपये की लागत से कोई सड़क बनेगी या पुल-पुलिया बनेगा या भवन बनेगा तो 99 करोड़ रुपये खर्च होंगे और एक करोड़ रुपये उसमें परिश्रम करने वाले मज़दूर की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी के लिए खर्च किए जाएंगे। पैसे का प्रावधान अलग-से नहीं होगा। जो नियत राशि थी, उसमें उसे एक सेपरेट सेस के रूप में प्रावधान कर दिया गया। उसे टैक्स नहीं कहा गया, उसे सेस कहा गया।

सभापति महोदय, मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि हम इतनी लम्बी-चौड़ी बातें करते हैं लेकिन इसकी प्रक्रिया कहां है? उन 43-44 करोड़ लोगों के पंजीयन और पहचान का संकट आज भी देश के सामने है। मैं बड़ी विनम्रता से इस सदन से कहूंगा कि वास्तव में इनके पहचान का संकट है। आप किसे मज़दूर मानते हैं? मैं एक उदाहरण देता हूं। बैण्ड बजाने वाले और सारे अच्छे कामों में लगे व्यक्ति चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के हों, लेकिन वे मज़दूरों की सूची में नहीं हैं।

मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं। जो सड़क पर पान का ठेला चलाता है, वह मज़दूर है। लेकिन अगर उसने लोन ले लिया तो वह ट्रेडर हो जाता है। वह लेबर से अचानक ट्रेडर हो जाता है और वह सारी सुविधाओं से वंचित हो जाता है।

महोदय, मैं चंडीगढ़ गया था। मैं मज़दूरों के बीच काम करता हूं। वहां की स्थिति देख कर मैं भौंचक था। एक हज्जाम कहे जाते हैं, वे मुस्लिम जाति हैं, उनका रजिस्ट्रेशन आज़ादी के पहले का है। यह एक उर्दू का शब्द है। अगर आज कोई व्यक्ति सड़क पर किसी के बाल काटने का व्यवसाय करेगा तो वह एक लेबर होगा लेकिन अगर उस ने कर्ज़ लेकर दुकान खोल ली, चाहे वह सरकारी बैंक से ले, चाहे गैर सरकारी बैंक से ले, वह ट्रेडर हो जाएगा। इस पर फैसला नहीं हो सका। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि निशिकांत जी कह रहे थे कि हम इसमें भेद नहीं करते तो मुझे लगता है कि अभी तो हमें इतने छोटे सवाल से जूझना है। इसलिए मैं जब काम कर रहा था तो हम लोगों ने एक चार्टर बनाया। उस चार्टर में कहा कि पहले तो इस देश के मज़दूरों को सूचीबद्ध करो। कितने ट्रेड हैं? आज से चार साल पहले 37 ट्रेड थे। अब वे 62 हो गए। अभी कुछ महीने पहले वे 67 हो गए और उसके बाद भी जिनके मैंने नाम लिए उनकी समस्या जस-की-तस है। इसका कोई समाधान नहीं निकला है। यह तो पहचान की बात कि हम अमुक ट्रेड के रूप में पहचाने जाएंगे कि कौन जूट के क्षेत्र में काम करता है, कौन चाय बागानों में काम करता है, कौन बीड़ी मज़दूर है।

महोदय, महिलाओं को लेकर बहुत बड़ी-बड़ी बातें होती हैं लेकिन मैं इन तीन ट्रेडों की बात कर रहा हूं- चाय बागान, बीड़ी का क्षेत्र और जितने भी पहाड़ी राज्य हैं उनमें खेतों में जो काम करने वाले मज़दूर हैं, उनमें 90 फीसदी से ज्यादा महिलाएं हैं। लेकिन आपको सुन कर यह आश्चर्य होगा कि इस देश का जो भी डेली वेज है, अगर यह सबसे कम कहीं है तो यह चाय बागानों में है। उन्हें 52 रुपये दिए जाते हैं। बीड़ी बनाने वालों को 52-53 रुपये दिए जाते हैं। आप पहाड़ों पर चले जाइए। वहां की हालत भी 50 रुपये से नीचे है। मैं समझता हूं कि कभी हमने जिम्मेदारी के साथ चर्चा ही नहीं की। अभी तो मैं इसके क्रियान्वयन की बात पर आया ही नहीं। मुझे लगता है कि जब हम इन बातों पर चिंता करते हैं तो इस बात को भी सोचें कि इन्हें पेंशन क्यों मिलना चाहिए। जब कोई वृद्ध आदमी होता है तो जैसे मैं उन्हें हम्माल कहता हूं। पचास साल की उम्र के बाद इस देश में हम्माली करने वाला हम्माली नहीं कर सकता। रिक्शा चलाने वाला रिक्शा नहीं चला सकता। वृद्धावस्था पेंशन 60 साल की आयु में मिलेगी।

किसके पास जमीन है, किसके पास नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन जिस देश का कानून कहता है कि जब 60 साल की उम्र पार कर जाओगे, बीड़ी मजदूर को छोड़कर, क्योंकि, बीड़ी मजदूर के मामले में प्रावधान है कि 59 साल की उम्र के बाद उसको पेंशन मिल सकती है, लेकिन बाकी सब को 60 साल के बाद मिलेगी और वह भी अन्यान्य प्रकार की योजनाओं और शर्तों के साथ मिलेगी। मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कहना चाहता हूं, सदन विचार करेगा कि हम्माल सिर्फ एक जगह नहीं होता है, सीमेण्ट साइडिंग पर हम्माली करने वाला, रेलवे साइडिंग पर हम्माली करने वाला, पेरटीसाइड्स में हम्माली करने वाला, कृषि उपज मंडी में हम्माली करने वाला, सब्जी मंडी में हम्माली करने वाला और जो ट्रकों में लदान करने वाला हम्माल है, यह एक ही सैक्टर में इतने प्रकार हैं, जिनकी सामाजिक सुरक्षा में उनकी चिकित्सा और उनकी बाकी समस्याएं भी भिन्न-भिन्न हैं। हम्माल एक शब्द है, ये सैक्टर इतने सारे हैं, लेकिन उसका समाधान नहीं है। इसलिए मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कहूंगा, पैंशन की तारीख पर बहस हो सकती है कि किस उम्र में हो, इसका कोई प्रावधान हो सकता है, लेकिन इसी में उम्र की उलझन शुरू होगी कि किस उम्र में पैंशन मिलनी चाहिए। ट्रेड के आधार पर इस देश के मजदूर की पैंशन के बारे में विचार करना पड़ेगा और इसलिए आपको तय करना पड़ेगा कि कौन सा मजदूर आर्गेनाइज्ड है, कौन सा आर्गेनाइज्ड नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। आपको यह तय करना पड़ेगा कि उसकी शारीरिक हालत क्या है और देश में उसने अपनी जवानी की जितनी भी ऊर्जा थी, उसने देश के काम में लगा दी, चाहे वह परिवार पालने के नाम पर लगाई हो, चाहे उसने अपने देश को बनाने में लगाई हो, लेकिन उसके पसीने का इस देश के निर्माण में योगदान है और इस नाते मैं यह कहता हूं कि इस पर इस सदन में बहस होनी चाहिए कि वास्तव में उस गरीब को किस उम्र में पैंशन मिले। कौन सा तंत्र काम करेगा, आप मैडीकल टीम बनाइये और उसका आकलन करिये, जिसने जीवन में परिश्रम किया। अगर वह किसी बीमारी के कारण अपंग हो गया और उसका बच्चा भी अगर मजदूर है तो वह उसे पालने की स्थिति में नहीं है।

सामाजिक सुरक्षा की जो भी दूसरी पैंशंन हैं, वे पैंशंन जातियों के आधार पर या अन्य वर्गों के आधार पर ज्यादा हैं, बजाय इसके कि उसकी लाचारी के कारण हों। मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि मैं किसी जाति का विरोधी नहीं हूं, मैं मजदूर को सिर्फ मजदूर की दृष्टि से देखना चाहता हूं, लेकिन उस मजदूर के बारे में फैसला कैसे होगा? कांग्रेस के लोग 2006 में नकल करके एक कानून लेकर आये थे। साहिब सिंह वर्मा जी ने कहा था कि आप इनके पंजीयन के लिए पैसा दीजिए, आप सामाजिक सुरक्षा कानून की जगह पर पंजीयन के लिए एक मजदूर सुरक्षा कानून लेकर आयें। यहां पर मंत्री महोदय मौजूद हैं, मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि 2006 में कानून बना, मैंने अभी प्रश्न लगाया था कि कितने लोग पंजीकृत हुए, उसका जवाब आया कि इसमें कोई प्रगति नहीं हुई, क्योंकि, पैसे का प्रावधान नहीं किया गया। आपने कानून बना दिया, राज्य सरकारों से कह दिया, उनके हवाले छोड़ दिया कि आप जाकर लोगों को पंजीकृत करिये, लेकिन पंजीयन का पैसा कहां से आएगा, इसका प्रावधान कौन करेगा? जैसे अटल बिहार वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर 100 करोड़ रुपये का निर्माण होगा तो उसका एक प्रतिशत उस गरीब आदमी की सामाजिक सुरक्षा के लिए लगेगा। अगर यह कानून उस समय बना दिया गया होता कि यह केन्द्र का कानून है, उसके पैसे का प्रावधान यहां से होगा, उसका पंजीयन होगा। क्योंकि, पंजीयन किसी भी मजदूर को लाभ देने के लिए पहली शर्त है। अगर मैं जीवन भर मजदूरी करूं, लेकिन अगर मेरे पास में कार्ड नहीं है तो मुझे सामाजिक सुरक्षा का कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है।

मैं बुन्देलखण्ड से आता हूं और बुन्देलखण्ड में सूखा है, गरीबी है, लाचारी है और मैंने कहा कि वहां पांच एकड़ का काश्तकार, जिसके पास सिंचाई नहीं है, उसकी दुर्दशा यह है कि वह यहां पर तो मजदूरी करता ही है, वहां पत्थरों में कुछ होता नहीं, जमीन के नीचे मिनरल है, वैसे कहने के लिए तो वह करोड़पति-अरबपति है, लेकिन उसके पास में कुछ नहीं है। मैंने कहा कि वह पांच एकड़ का काश्तकार, जिसके पास में सिंचाई का साधन नहीं है, उसको मजदूर घोषित करो, नहीं तो उसका गरीबी की रेखा का कार्ड नहीं बनेगा। क्योंकि, जिसके पास में एक एकड़ जमीन है, दो एकड़ जमीन है, वह 12 रुपये और 14 रुपये दिन के कमाता है। अगर पांच लोगों के बीच में दो एकड़ जमीन है तो जितने भी सर्वे हैं, जितने तमाम नाम हमारे निशिकान्त जी ने लिए हैं, मैं उन महापुरुषों से कहूंगा कि कभी बुन्देलखण्ड की धरती पर जाइये और पांच एकड़ के काश्तकार की, जिसके पास असिंचित जमीन है, उसकी दुर्दशा देखिये। एक आदमी 12 रुपये, 14 रुपये से ज्यादा वहां उससे नहीं कमा सकता है। उससे ज्यादा मजदूर कमाता है। अगर एक परिवार में चार लोग मजदूरी करते हैं तो आठ एकड़ जमीन के काश्तकार से ज्यादा पैसा अपने परिवार में लेकर जाते हैं, यह जमीनी सच्चाई है। लेकिन इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि, हमारे पास आंकड़ेबाजी नहीं है, हमारे पास में दस्तावेजी प्रमाण नहीं हैं। हम जमीन पर हैं, जो हम कह रहे हैं, वह शपथपूर्वक कह रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। कई बार मुझे आश्चर्य होता है, मैं भी बहुत छोटी उम्र में, 27.5 साल की उम्र में इस सदन में आया था। मैं किसान का बेटा हूं, एक मध्यवर्गीय परिवार में पैदा हुआ हूं, हमें जमीन की जानकारी है, लेकिन हमें आंकड़ों की जानकारी नहीं है, हमसे आंकड़ों की बाजीगरी नहीं होती। वास्तव में सच्चाई यही है कि कांग्रेस जो कानून लेकर आई, उस कानून में अगर पैसे का प्रावधान किया होता तो आज तक गरीब मजदूर का पंजीयन हो गया होता। आज सिर्फ भवन बनाने वाले जो भी मजदूर हैं, उनको छोड़कर किसी भी ट्रेड में पंजीयन की व्यवस्था नहीं है। यह तो एक चीज है, ऐसी कितनी ही सारी चीजें पड़ी हुयी हैं, जूट उद्योग हो सकता है, चाय का उद्योग है, निर्माण मजदूर है, ठेका मजदूर है, जहां कहीं पर थोड़ी बहुत व्यवस्थायें हैं, इसके अलावा किसी भी ट्रेड में अभी कोई ऐसी जिम्मेदारी वाली न तो कानून की व्यवस्था है और न ही पहचान की व्यवस्था है। मैं निशिकांत जी को धन्यवाद दूंगा कि एक बहस तो शुरू हुई, इसलिए मुझे लगता है कि पहले उनको चिन्हित कीजिए, फिर उनका रजिस्ट्रेशन कीजिए ताकि वे अधिकार के लिए, पात्रता के लिए अपनी लड़ाई लड़ सकें।

तीसरी बात आती है कि किस ट्रेड के बारे में आप क्या सोचते हैं? तब कहीं जाकर पेंशन का प्रावधान बनेगा। यह इस देश का सदन, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, यह इसकी जिम्मेदारी है। आपको इस बात को किसी पर छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि को लक्ष्य, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि एक लक्ष्य बनाइये ताकि किसी निष्कर्ष पर हम पहुंचें। तंत्र बन सकता है, तब कहीं जाकर लाचार आदमी की लाचारी खत्म होगी। ऐसे नहीं हो सकती कि हम हर बार भाषण दें और आगे के रास्ते पर बढ़ जायें। मैं उसके लिए सबसे अच्छा मॉडल मानता हूं, जिसको कहते हैं कि जमीन पर खड़े होकर किसी बात का समाधान खोजना, मैं दीन दयाल जी की उस बात को अच्छा मानता हूं। जब उनसे पूछा गया कि आप अर्थशास्त्री हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं उपाधि प्राप्त अर्थशास्त्री नही हूं, लेकिन मैं भारत की जमीन पर खड़ा होकर जब किसी समस्या पर ईमानदारी के साथ विचार करता हूं तो यह धरती माता मुझे ताकत देती है और मैं उसका समाधान खोज लेता हूं और वह सूत्र रूप में हमारे मुंह से निकला जाता है और कल वह देश का मार्गदर्शन करता है।

हम दीन दयाल जी के शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। वर्ष 2015 और 2016 उनका शताब्दी वर्ष है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा कि दीन दयाल जी के एकात्म मानव दर्शन को आधार मानकर चलने वाला दल आज देश की राजनीति में सत्ता में बैठा है। अगर वास्तव में कुछ सच्ची श्रद्धांजलि दीन दयाल उपाध्याय जी को देनी है तो इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। दरिद्र नारायण की सेवा ईश्वर की सच्ची सेवा है, यह स्लोगन जो दुनिया में दीन दयाल जी का चलता है, अगर वास्तव में उसकी पूर्ति करनी है, वास्तव में उस मंशा को धरती पर, जमीन पर लाकर उतारकर देना है तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता है।

मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि हमने भी आन्दोलन चलाया था। आजकल मानव अधिकार दिवस मनाते हैं, आईएलओ का भी एक वह फैशन बन गया है, सभापति महोदय, आप तो जमीन से जुड़े हुए हैं, उन संघर्षों को आपने देखा है। हमने कहा कि रोजी-रोटी पर तकरार, फिर कैसा मानव अधिकार? यह आलोचना नहीं है, यह जमीनी सच्चाई है। आप किस मानव अधिकार की बात करते हैं? हमने जब रैली की तो हमने यही कहा कि मालिक-मजदूर भाई-भाई, लेकिन हिसाब होगा पाई-पाई। जब यह बात कहते हैं तो अलगाव नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि इस देश में जो ट्रेड यूनियन बनीं, उन्होंने कई बार जिस भाषा का प्रयोग किया, उन्होंने वेज की बात पहले की, वेलफेयर की बात नहीं की। कई बार हमारा समाज जो वास्तव में समाज के परिवेश में चलता है, वह एक धड़ा दूसरे धड़े के दुःख-दर्द की हिस्सेदारी का हिस्सा होता है और वह समाधान देता रहा है। जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे, चाहे वे जकात की बात करें, मैं मजदूर को खैरात के पक्ष में नहीं हूं। उसे अगर कोई चीज मिलनी चाहिए तो वह सम्मान के साथ मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसे कोई चीज भीख के नाते दी जाये। उसकी लाचारी का मजाक न बने, इस बात के लिए सदन में चर्चा होनी चाहिए, इस बात के लिए नहीं कि किसी की कृपा पर फेंककर उसको दे दिया जाये। इसलिए कोई ऐसी जिम्मेदारी के साथ ऐसा कानून बने ताकि लगे कि नहीं, वास्तव में हम उसका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हम उसको शिक्षा दे रहे हैं।

महोदय, हम अगर ईएसआई के अस्पतालों की हालत देखते हैं, वह शहर से 12 किलोमीटर दूर है। मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि टी.बी. का मरीज 12 किलोमीटर दूर कैसे जायेगा? उसके पास पैसा कहाँ है? जिस वृद्ध आदमी के लिए हम आज अधिकारों की बात करते हैं, किसी आदिवासी गरीब आदमी की बात देखिए, जिससे अस्पताल 50 किलोमीटर दूर है, उसके पास बस में जाने का पैसा नहीं है। उसके लिए सिर्फ खाने भर का संकट नहीं है। बुढ़ापा, गरीबी, लाचारी और यह बीमारी भी है, उसकी बीमारी के इलाज का पैसा कहाँ से आयेगा? पेंशन के लिए विचार करते समय इन आंकड़े देने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ पेट की दो टाइम की रोटी उस पेंशनधारी को मिलेगी? मैं इस बात से सहमत नहीं हूं क्योंकि वह उम्र सिर्फ भोजन की नहीं है, उसकी दवाई की भी जरूरतें हैं तो इस आधार पर उस बारे में फैसला करना होगा। मैं इसको सामयिक मानता हूं कि जिस समय यह बिल आया है, इस पर सकारात्मक बहस होनी चाहिए, लेकिन मैं कांग्रेस के मित्रों से कहूंगा कि हम श्रेय लूटने के चक्कर में कई बार अपने विषयों से भटकते हैं, श्रेय के चक्कर का नहीं, यह सवाल नीयत का है। जब आप जमीन पर बैठकर पूरी संवेदनशीलता के साथ अगर इस पर विचार करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का दुरूपयोग हो सकता है।

अंत में मैं इतना ही कहूंगा, मैंने एक सुझाव दिया था, आधार कार्ड के लिए हजारों करोड़ रूपये इस देश में खर्च हो रहे हैं, उस आधार कार्ड का नम्बर उस गरीब आदमी का पी.एफ. नम्बर बना दो तो उसका रास्ता निकल जायेगा। इस दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, 1200 करोड़ रूपए पी.एफ. का एक साल के भीतर लैप्स हुआ। इस देश का कानून कहता है कि कोई क्लेम करने नहीं आयेगा तो राज्य सरकार विवेक के आधार पर खर्च कर लेगी और वह पैसा खर्च हो गया। मेहनत का पैसा, उस मजदूर के पसीने की कमाई उसके बच्चों को मिलनी चाहिए। वह ऐसे उड़ जाती है। इनके लिए रास्ते निकाले जा सकते हैं। हमने सिर्फ अलोचना नहीं की थी, हम ने कहा था कि उसका पी.एफ नम्बर और आधार कार्ड का नम्बर एक हो जाए, ऐसा कोई रास्ता यह सरकार निकाले, ताकि उनकी मेहनत की कमाई का पैसा उनकी सड़कों में न लगे बल्कि गरीब आदमी के बच्चों को मिले। इतना कहते हुए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रो. सौगत राय (दमदम) : सभापति महोदय, हमारे देश के असंगठित मजदूरों को मिनिमम पेंशन के लिए, निशिकांत दुबे जी जो राष्ट्रीय न्यूनतम पेंशन (गारंटी) विधेयक - 2014 लाए हैं, इसका मैं समर्थन करता हूं। राजनीतिक दृष्टिकोण से मेरा उनसे फर्क है। होल व्यू में भी फर्क है। लेकिन, अगर उन्होंने कोई अच्छा प्रस्ताव किया है, तो उसका समर्थन करना चाहिए और मैं उसका समर्थन करता हूं।

माननीय सभापति जी, हमारे संविधान में जो डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, पार्ट-फोर, उसमें यह लिखा है। Article 41 of the Constitution on Right to work, to education and to public assistance in certain cases states:

> "The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in case of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want."

हमारे संविधान के जो प्रणेता थे - श्री जवाहर लाल नेहरू, श्री राजेन्द्र प्रसाद या बाबा साहेब अम्बेडकर, ये देश के लिए एम्बिशन पहले से तीक कर के गए थे कि सभी लोगों को बुढ़ापे में मदद मिलनी चाहिए। क्योंकि डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स जस्टिसेबल तो नहीं है, हम उसको लागू करने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, लेकिन देश का लक्ष्य क्या होना चाहिए, यह डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा हुआ है। निशिकांत दुबे जी का यह कानून उसी को पूरा करने के लिए आया है। हमारे देश में बहुत बड़ी आबादी है, लगभग 120 करोड़ लोग रहते हैं। हम पूरी जनसंख्या के बारे में तो नहीं कहते हैं। हम कहते हैं कि जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है, उनको मदद करने की एक व्यवस्था होनी चाहिए। इसी लक्ष्य को ले कर निशिकांत दुबे जी ने इसको रखा है।

बात यह नहीं है कि इस दिशा में कोई कोशिश नहीं हुई है। 70 लाख लोग केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में काम करते हैं, उन के लिए पेंशन की व्यवस्था है। सरकार सभी को पेंशन देने की जिम्मेवारी नहीं लेना चाहती है, इसलिए न्यू पेंशन स्कीम चालू की गई। तब भी उन्हें मिनिमम पेंशन गारंटेड है। कुछ साल पहले जिन लोगों को प्रॉविडेंट फंड, ई.पी.एफ. इम्पलॉयज प्रॉविडेंट फंड है, उनके लिए एक प्रॉविडेंट फंड लिंक्ड पेंशन चालू की गई थी। बहुत लोग मेरे पास आते थे और कहते थे कि हमको 300 रुपया पेंशन मिलता है। यह शर्म की बात है। पाँच सालों से मैं इस संबंध में लिखते आया और बोलते आया। यू.पी.ए-II के अंतिम समय में मिनिमम पेंशन 1000 रुपया ग्रांटेड हुआ। वित्त मंत्री जी के बजट भाषण में भी इसका उल्लेख है कि ईपीएफ लिंक पेंशन में मिनिमम पेंशन एक हजार रुपये होगी।

वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना भी एक पेंशन स्कीम है। उसमें अभी तक केवल 3 लाख 16 हजार लोगों को पेंशन मिलती है। यह भी एक सरकारी स्कीम है। केन्द्र सरकार ने एक स्कीम चालू की थी जिसका नाम इंदिरा गांधी नैशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम (इंदिरा गांधी नॉप्स) था। मुझे पता नहीं कि वह नाम अभी है या नहीं।...(व्यवधान) इंदिरा गांधी नॉप्स में भी लोगों को पंचायत या निगम के माध्यम से पेंशन देने का प्रावधान है। उसमें भी एक हजार रुपये मिलते हैं। लेकिन उसमें यह परेशानी है कि पंचायत में कोटा होता है। जब वह पूरा हो जाता है तो दूसरे लोगों को पेंशन नहीं मिलती। अभी नियम लागू हुआ है कि जिनके पास बीपीएल कार्ड है, उन्हीं को वह सुविधा मिलेगी। हमारे मुल्क में लगभग 30 प्रतिशत बीपीएल हैं। बाकी लोगों को इंदिरा गांधी नॉप्स का मौका नहीं मिलेगा।

पश्चिम बंगाल में प्रांतीय सरकार की ओल्ड एज पेंशन स्कीम चालू है। प्रांतीय सरकार के पास कम साधन होते हैं। मैं देखता हूं कि वहां एक व्यक्ति को ऐप्लाई करने के बाद कम से कम तीन साल लगते हैं। मेरे पीछे बहुत लोग घूमते हैं। मैं अधिकारियों के पास जाता हूं तो वे कहते हैं कि हमारा कोटा पूरा हो गया है। जब तक लोग गुजर नहीं जाते, हमारा कोटा नहीं खुलेगा। इसलिए हम नहीं दे सकते। सरकारी पेंशन, ईपीएफ लिंक पेंशन, वरिष्ठ बीमा योजना और प्रांतीय सरकार की पेंशन स्कीम हमारी जनसंख्या के बहुत कम लोगों को मिलती है।

यह लॉंग टर्म एम्बिशन भी हो सकती है, लेकिन निशिकांत जी का कहना है कि हर वरिष्ठ नागरिक को कम से कम 5 हजार रुपये पेंशन मिलनी चाहिए। मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं। अगर हमारा राष्ट्र वेल्फेयर स्टेट है, अगर जनता का भला, देखभाल करना राष्ट्र का फर्ज बनता है तो लोगों के लिए मिनिमम पेंशन का प्रावधान करना चाहिए। लोग अलग-अलग प्रोफैशन में लगे हुए हैं। कोई खेतीहर मजदूर है, कोई मछुवारा है, कोई जंगल में काम करता है। उन सब लोगों को पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाने की बात पहली बार निशिकांत जी लोगों के सामने लाए हैं। मैं इसका समर्थन करता हूं क्योंकि हम जिस जनजीवन के साथ जुड़े हुए हैं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हालत क्या है। शायद हर प्रांत में, मैं अपने प्रांत में देखता हूं कि लोगों को सौ-सौ करोड़ रुपये प्रॉविडेंट फंड में जमा करने होते हैं।

हमारे वहां जूट मिल है जिसमें दो लाख इम्प्लॉई हैं। लेकिन वहां 200 करोड़ रुपये प्रॉविडेंट फंड ड्यूज़ हैं। हमारे वहां ग्रेच्युटी का कानून है। हर साल काम करने पर 15 दिन की ग्रेच्युटी मिलती है। रिटायरमैंट के समय कोई मालिक ग्रेच्युटी नहीं देता। वह उनके साथ एग्रीमैंट करता है कि जब तक ग्रेच्युटी क्लीयर नहीं होती आप काम कीजिए। जिन लोगों की उम्र 65, 66 साल हो गई, वे जूट मिल में काम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उन्हें काम करना पड़ता है क्योंकि उनके पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। उनका शरीर जूट मिल में काम करने लायक नहीं है फिर भी वे काम करते हैं। क्योंकि उनको ग्रेचुएटी नहीं मिलती। इसमें बदलाव आया है। जूट मिल में 80 प्रतिशत लोग बिहार और यूपी के हैं। आजकल उसमें भी आदमी मिलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि एमजीएनआरईजीएस के शुरू होने से लोगों को प्रतिदिन 150 रुपये मिलते हैं इसलिए उन्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए लोग कोलकाता चटकल में आना नहीं चाहते हैं। वहां लेबर की कमी हो जाती है। हमारा कहना है कि मुल्क में बदलाव आया है, कुछ सुधार आया है, लेकिन हमें बहुत आगे जाना है।

महोदय, निशिकांत जी का रेज्योलूशन हमें एक रास्ता दिखाता है कि हमें कहां तक पहुंचना है. इंग्लैंड में हर नागरिक को नैशनल हैल्थ स्कीम की सुविधा मिलती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंग्लैंड में नैशनल हैल्थ स्कीम में डायलिसिस से लेकर किडनी ट्रांसप्लांट आदि सब कुछ सरकारी खर्चे से होता है। मेरा एक दोस्त था, वह पहले इंग्लैंड में काम करता था। मैं आज से दस-पन्द्रह साल पहले की बात कह रहा हूं। वह हर साल इंग्लैंड जाता था और डायलिसिस करके वापिस आता था। आज कल डायलिसिस यहां भी चालू है। वह अपना किडनी ट्रांसप्लांट भी इंग्लैंड से कराकर आया, क्योंकि खर्चा नहीं लगना था। मुझे पता नहीं कि कब हम उस स्तर पर पहुंचेंगे जहां आप हर आदमी को मेडिकल सुविधाएं दे पायेंगे, लेकिन एक रोडमैप होना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं नहीं समझता कि निशिकांत जी जो रेज्योलूशन लेकर आये हैं, वह असंभव है। अगर हम 33 हजार करोड़ रुपया एमजीएनआरईजीएस पर दे सकते हैं, तो निशिकांत जी ने क्या कहा है? उनका कहना है कि 50 हजार करोड़ रुपये से एक कारपस फंड बनाया जाये और हर साल 30 हजार करोड़ रुपया दिया जाये, तो आप उसे कवर कर सकते हैं। आप हिन्दुस्तान के सब ऐलिजिबल लोगों को 5 हजार रुपये मिनिमम पैंशन दे सकते हैं। कल ही हमने 18 लाख करोड़ रुपये का एप्रोप्रिएशन बिल पास किया है। जिस सरकार का 18 लाख करोड़ रुपये एक्सपेंडीचर पर खर्च होते हैं, वहां 50 हजार करोड़ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सरकार की इच्छा होनी चाहिए। सरकार की नीयत और इच्छा, दोनों में कमी है। अब 18 लाख करोड़ रुपये का जो खर्चा होता है, उसमें प्लान के लिए साढ़े 5 लाख करोड़ रुपये का खर्चा है जबकि बाकी सब पैसा नॉन प्लान में चला जाता है। उसमें से वे सरकारी कर्मचारी को देते हैं और ऐस्टेब्लिशमैंट खर्चा होता है। हम सब एमपीज को पैंशन मिलती है, सरकारी कर्मचारियों को भी पैंशन मिलती है और हर प्रांत में एमएलए को भी पैंशन मिलती है, लेकिन बेचारी गरीब जनता को कुछ नहीं मिलता है।

महोदय, निशिकांत बाबू ने सही बात कही कि जब हम अपनी कांस्टीटूएंसी में जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि हमारे लिए आप कुछ कीजिए। बंगाल में बहुत विधवाएं हैं जो दूसरे घरों में काम करती हैं, यानी घरेलू कर्मचारी हैं। उनकी देख-भाल करने के लिए कोई नहीं है। वे अपना पेट पालने के लिए दूसरे घरों में झाड़-पोंछ करती हैं। वे मुझे आकर बोलती हैं कि हमें इंदिरा गांधी नोप्स दिला दीजिए। कुछ लोगों को तो मैंने दिला दिया। जिसे वह मिल गया, वह तो बच गया, क्योंकि वह कम से कम दिन में एक बार तो खा सकता है। बाकी लोगों को कुछ सहुलियतें नहीं हैं। हम कहते हैं कि मंगल में यान भेजेंगे, बड़े-बड़े समुद्र के नीचे से तेल उठायेंगे। हम आकाश में जायेंगे, मिसाइल बना रहे हैं, लेकिन इस देश में आम जनता की हालत अभी भी बहुत खराब है। हमें दूर-दृष्टि से देखना चाहिए।

महोदय, मैं समझता हूं कि निशिकांत बाबू जो रेज्योलूशन लाये हैं, उस पर कम से कम चर्चा हो। देश में प्रॉयरिटी क्या होनी चाहिए, किस चीज पर अग्राधिकार होना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। हम बजट में कितने रुपये, कितने परसेंटेज़ सामाजिक सुरक्षा के लिए खर्च करना चाहते हैं, इस पर एक चर्चा हो। मैं श्री अधीर जी जैसा, कि इंग्लैंड का क्या इतिहास है, वेस्टर्न डेमोक्रेसी से कम्पेयर करने की जरूरत नहीं है, वहाँ तो टोटल रिसोर्सेज़ हैं। आप स्वीडन जाइए, ये छोटे-छोटे मुल्क हैं, यहाँ एक-एक करोड़ की आबादी है। हिन्दुस्तान की जो समस्या है, उसका साईज़ बहुत बड़ा है। यहाँ का पापुलेशन साईज़ जितना बड़ा है, उसकी तुलना हमें छोटे-छोटे देशों से नहीं करनी है। हमें बड़े ढ़ंग से सोचना चाहिए, देखना चाहिए। रास्ता क्या है, इसे लेकर बराबर बात होती है। मैं कल भी चर्चा में बोला था कि ग्रोथ होने से यह नहीं होगा। यदि ग्रोथ का लक्ष्य होगा, ग्रोथ के साथ सामाजिक इंसाफ, सामाजिक न्याय-विचार होगा, तभी हम अपना रास्ता ढूंढ पाएंगे। मैं तो जानता हूं कि प्राइवेट मेम्बर बिल का क्या होता है? श्री निशिकांत बाबू तो चालीस मिनट बोल लिये। उसके बाद मंत्री जी अंत में भाषण देंगे, वे बोलेंगे बहुत अच्छा और श्री निशिकांत बाबू उसे विदड्रा कर लेंगे। मैं तो इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि वह कानून लागू हो जाएगा, बल्कि इसलिए करता हूं कि कम से कम इस पर चर्चा तो कराएं। देश के सबसे गरीब, दबे हुए, कष्ट में रहने वाले, बेसहारा लोगों के बारे में चर्चा तो इस हाऊस में हो चुकी है। हम न्यूक्लियर इनर्जी और अन्य कई चीजों पर चर्चा करते हैं, लेकिन देश की आम जनता के बारे में इस सदन में चर्चा नहीं होती है। आप तो श्री लोहिया जी के भक्त रहे हैं। अभी बीजेपी में हैं, ठीक है। आप जानते हैं, लोहिया जी के इन सब लोगों के बारे में बताया था। गांधी जी से लेकर लोहिया जी तक यही चिन्ता थी। इस चिन्ता को अभी लागू करना चाहिए। मैं इसलिए इस बिल का समर्थन करता हूँ और श्री निशिकांत बाबू से अपील करता हूँ कि आप इस पर अड़े रहिये। जब आपको सरकार की तरफ से बोला जाएगा कि आप विदड्रा कर लीजिए, तो आप नहीं करिएगा, इससे क्या होगा? देश के लोग याद रखेंगे कि ये पार्टी के खिलाफ फाइट करके भी गरीब लोगों के लिए बिल विदड्रा नहीं किया। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I stand here to support the Bill that has been moved by Shri Nishikant Dubeyji, especially when it deals with a guarantee.

Normally, the Bills that were coming in 15th Lok Sabha were guaranteeing many things to the people of this country. I think it has not become contagious to the BJP Members sitting in the Treasury Benches today to bring in another guarantee Bill because right to education, right to food and right to many things were guaranteed during the UPA regime. This is another guarantee as a Private Member Bill which Nishikant Babu has brought today.

I support the Bill because it deals with around 88 per cent of the work force of the country which is not covered in true sense of the term because hardly 12 per cent are in organized sector and 88 per cent are in unorganized sector. Here I would say that agricultural labour is one of the major work forces which fall under unorganized sector. When I come from a State like Odisha, I would say that tendu leaf workers also fall under the unorganized sector. As has been stated by Nishikant Babu, those who work as mason, plumber, carpenter, fishermen, blacksmith, goldsmith, *kumbhar* and even weavers, all fall under unorganized sector. But why am I saying all this? Why did Nishikant Babu mention all these things? It is because the economics of the Indian economy has changed drastically.

I do know if many Members have gone through the book which the former Prime Minister, Choudhary Charan Singh, had written when he was the Deputy-Prime Minister of this country.

17.00 hrs.

I do not know whether anyone has gone through the number of other books which have gone in detail relating to the village economy of India because the society has changed a lot. The society which was there 80 years ago was independent. In a way it was *swavalambi*. The village community itself was dependent on each other and that is how the village prospered. That was our strength and it was India's strength – to fight against the onslaught of British sovereignty. But now the situation has changed. Gandhi Ji used to say that India lives in villages but today it does not. There has been a drastic change and that drastic change is because the village economy has been shattered. It has been shattered because of our land economy that we adopted after 1950. Many people will not accept this viewpoint but I hold this view because the planned economy and the command economy that we adopted, and we are still adopting, has destroyed our village economy.

17.01 hrs (Shri Hukum Singh *in the Chair*)

Today, the village is dependent very much on outside support. Today, the village is dependent on everything which is produced outside. Very little of what is being produced in the village is being consumed by the village itself. Earlier, that was not so. The strength of the Indian economy was that what was produced in the village was appropriated, was consumed by the villagers or the locality. Whatever the potter or his family produced was sold around the village he was living. Whatever a weaver was producing was being consumed by the people where he was living. So is the case with the goldsmith, the blacksmith, carpenter, the mason, the plumber and others. That is how the village prospered and the village, as a community, was giving guarantee to the people who were engaged with this type of a job. It had a different connotation and it had different misgivings but the village itself was self-sufficient.

When we are talking about pension today providing social sector support invariably, we are saying that that support which was supposed to be given by the village, by the community, is lacking today. Earlier, the village was taking care of itself. Now the situation has changed. It is not only that the family has broken - there are a number of nuclear families - but there is migration also from the village to the urban areas. Traditional workforce is facing stiff competition and they have to survive. Therefore, providing social security has become essential.

A number of insurance schemes has come into being. Insurance will play a major role to provide a minimum guarantee of pension to the unorganised sector and workers in the private sector also. Of course, health insurance has developed during the last four to five years and is now being extended to farmers in some States but it needs to be extended to the unorganised sector as well.

The organised sector has social security but the organised sector does not have a uniform social security throughout the country. Nowadays, there are many contract workers who are working in different institutions which are out of social security net.

India is young today. There is no doubt about it. But the number of old people is rising. I will come to that information a little later. But there is a need to have universal health care and it is worth considering.

The hon. Member from Kerala is present here. I would like to cite an instance that Kerala has introduced a pension scheme for paddy farmers since 2009. I would request the hon. Minister to have a study. Many State Governments are also doing that. It is quite small in number because in Kerala the farmers are slowly leaving paddy cultivation and they are indulging in other activities. This is for the older people who are above 60 years of age. I think it started with 15,000 farmer families. Now, the number of people who are eligible, I think, must be much more now. I think that is a unique thing which Kerala has done. It is necessary that such programmes are adopted by different States.

The very first line of the Statement of Objects and Reasons struck me. It says: "The condition of large number of pensioners in India is miserable, sad and frustrating." When the mover of this Bill, Shri Nishikant Dubey, has said that the condition of large number of pensioners in India is miserable, sad and frustrating, which segment of pensioners is he talking about? Definitely, he is talking about those persons who are in the security net, who are in the organised sector, who are in the unorganised sector, the widow pensioners, the old-age pensioners, etc. They are sad. Why? The only reason is the value of money is dwindling day by day. This is a caustic remark on our economic situation. It demonstrates that the economic downslide has made people miserable because the value of rupee is sliding down. The pension that is being provided to large number of pensioners should be connected to the value of rupee in such a way that the pensioners will not suffer. It has financial implications. I think the Government can look into that. There is much money movement in the market today. Liquid money is available in plenty today in comparison to the situation that was prevalent 30 years ago.

I am coming to the last part of my speech. India's economic growth and demographic transition is resulting in a falling birth rate. The drop in death rate is sharper than the fall in birth rate due to improved economic development leading to increased life expectancy and a subsequent rise in the population of the aged people. The proportion of those aged 60 and above is expected to claim from 4.6 per cent to nine per cent in 2030. In absolute numbers, the number of people above the age of 60 will increase from 87.5 million in 2005 to 100.8 million in 2010. This is expected to jump to 200 million in 2030. By 2050, it is expected to be over 320 million. This is I am quoting from the World Population Aging 1950-2050 United Nation's Report. What makes this data very chilling is the fact that improved economic development is bound to lead to a higher life span. The inability to improve a properly functioning pension system now is likely to affect a larger number of people in future. That is why, I think, Shri Nishikant Dubey, has brought this Bill so that we can deliberate in a detailed manner. In India another added factor is also there. That complicates the matter further. What is that complication? As in developing countries and in certain developed nations, there are different forms of universal social security which provides a State-sponsored or a self-financed safety net to people without any source of income or provide sustenance for periods of unemployment through an unemployment insurance programme as in the seventies we used to hear बेकारी भत्ता देना चाहिए। But here today the Government has indeed produced an umbrella, the National Social Assistance Programme under which different schemes are housed for providing pension to destitutes and widows about which I have just mentioned. This leaves a large part of the informal sector without any funded means of providing for old-age and for supplementing the lack of future income streams.

Mr. Chairman, Sir, I would say that the existing system of pensions which leaves more than 88 per cent of Indian workforce uncovered is likely to act as a social security umbrella for the aging Indians. There is time today. It is the need of the hour today that one has to go into this aspect that how we are going to cover, especially the farmers. Improvement in healthcare facilities leading to increase in life expectancy, evolution of nuclear family systems and rising expectations due to increase in *per capita* income, education etc. are some of the factors likely to compound the problem in future. Anticipating that, I think it is now time that we have to look into the aspect of the poor people, the disadvantaged people, those people who need social security and they have to come under the social security network. That is why I say, as has been stated by Shri Nishikant Dubey, that there is a need today to form a Board which will look into the interests of these people, those who cannot organise themselves, who rarely come out on the streets in groups and demonstrate for their rights. It is necessary today that the Government which is the sole proprietor and protector of the citizens of this country take up their cause. I hope this Government will consider it and consider it in a better way because large sections of the people have voted this Government to power with high hope and that hope should also be fulfilled in some way or the other.

With these words, I support this Bill. I expect Shri Nishikant Dubey, as has been told by Professor Saugata Roy, allows this Bill to be defeated if it is to be defeated!

HON. CHAIRPERSON : Shri Ramachandran – not there.

Shrimati K. Kavitha.

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA (NIZAMABAD): Sir, I rise to speak in support of the National Minimum Pension Guarantee Bill introduced by Shri Nishikant Dubey.

Shri Dubey, I truly appreciate your humane approach to the destitutes of India. I went through the Bill. I really appreciate the concern that you have for the majority of the people who are outside the pension framework or any of the benefits that usually the other organized sector labourers or the employees would get. This particularly brings me to a basic question: why do we need to pay pension at all to anybody? It is because after a certain age, if there is nobody to take care of them, we, as a Government, should ensure that they live in dignity, that they live and at least die in peace. That is what I would think.

When we talk about the history of pension in India, I believe the Governments have started by giving Rs.50; then increased it to Rs.150, and further increased to Rs.200 and the last outgoing UPA Government had finally increased it to Rs.1000/- and then they left. I do not know if it is implemented by this Government or taken forward. That is yet to be seen.

In our State of Telangana, we promised the people of Telangana that we would let them live in dignity. Even before the passage of the Rs.1000/- Pension Scheme of the UPA Government, we had announced it. Our hon. Chief Minister Shri K. Chandrashekara Rao had started implementing the provisions of that Bill. Now, we are giving Rs.1000 to all the people who are above 60 years of age. If this Scheme is carried out by a State Government with conviction, then, I believe, this can be carried out on a nation-wide basis if the Central Government is determined to do so, particularly if you carry forward the States with you. I am sure, the States would also want to participate, put in their amount and whatever Shri Nishikant Dubey has proposed that Rs.5000 per person as pension, it can be easily pooled with the cooperation of both the State and the Centre.

This is a very good scheme. There is no doubt about it. I agree with the overall idea but I do not agree with Shri Dubey when he says that Rs.50,000 crore, as a corpus fund, is to be given directly from the Indian Government. We should all think about that. We only have Rs. 18 lakh crore kitty from which we spend about Rs. 13.5 lakh crore on Non-Plan expenditure and spend about Rs. 4 lakh crore to build more factories and improve our technical education which is, in turn, going to improve our economy. So, spending more or taking out more from that kitty right now does not seem to be possible. Instead, I would suggest that we raise this amount of Rs. 50,000 crore and create a pool. For example, we give out NREGS funds जिसमें से हम हरेक आदमी को 150 रुपये प्रतिदिन देते हैं। हमने गांव में देखा है कि 150 रुपये में से कम से कम 50 रुपये लोग दारू पर ही खर्च करते हैं। So, let the Government encourage these labourers who are benefiting from the Government to save even Rs. 10 or Rs. 15 from this amount of Rs. 150 and in that way we can encourage savings and we can also create a pool from which, in turn, we can pay pension to them. If at all we can link up savings and pension, it will be good. जैसे यहां पूह्लाद जी बोल रहे थे कि आधार कार्ड जो होता है but, till date, we have not identified as to how many citizens we have. हाउस में भी बार-बार यह मुद्दा उठता है, बॉर्डरिंग स्टेट पर उठता है है यह मुद्दा, कहते हैं कि कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि कौन इंडियन सिटीजन है कौन नहीं है? तो आधार जैसी स्कीम जो हम सोच रहे हैं if it is implemented perfectly and if *Adhaar* can be linked to pension, it will be good. Of course, *Adhaar*, again, is to be implemented by the Centre and the States together. If we can club *Adhaar* with schemes like pension and schemes like NREGS, we can encourage our people to save and we can create a pool of money without asking any fund from the Central Government because we cannot really afford to ask for that kind of money.

सौगत राय जी ने कहा है कि हो सकता है, हम दे सकते हैं, सरकार की इच्छा-शक्ति होनी चाहिए, लेकिन पर्स में पैसे भी होने चाहिए। इस समय सरकार के पास इतना पैसा तो है नहीं। इस स्कीम को आगे बढ़ाना है, चलाना है, we have to take everybody with us. We have to go towards inclusively growing India. That is an excellent idea. But only about corpus funding, I differ a little bit with our senior hon. Member who has brought this Bill. But if we can encourage savings, I think it will be great and particularly when we are talking about the unorganised sector, जिसमें हमें बहुत सारी और भी बातें सोचनी होती हैं, particularly when we are talking about a quantum of Rs. 5,000 per person per month, what about the rest of the schemes? What about the Health Insurance Scheme and what about other benefits that the Government gives them? What about the PDS? Do we exclude all of that and give Rs. 5,000 pension per month or do we club all of them also in this? Otherwise, the Government is going to take a great toll if they have to Rs. 5,000 to the head of the family and the family is already enjoying rest of the benefits. So, we should seriously think about all these issues.

Sir, I lived in USA. But I do not call it an ideal country. उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, वे गरीब-अमीर का भेद-भाव नहीं करते हैं। Everybody gets a pension there. Everybody gets social security money. Whoever is jobless, they get social security money. क्या हमारे देश में हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्योंकि हम कैसे करते हैं कि आप एससी हो, तो आपको इतना मिलेगा, दूसरे हो तो आपको इतना मिलेगा, यह आपकी ऐज है तो इतना मिलेगा, विडो है तो इतना मिलेगा। तो यह सब हटाकर can we have a universal policy for all? If we can give Rs. 5,000 per month to everybody without any disparity, I will be very happy. But how can we achieve it and how can we bundle all other schemes that the Government is already having? This is an issue to be thought about.

Sir, this is really a wonderful concept that came from the parliamentarian, my senior colleague, Shri Nishikant Dubey out of his concern for the people, out of his true concern for the destitutes who are out of this framework. I really appreciate this Bill and totally support this Bill, but only about the money part, I think we need to prudently think and move ahead.

SHRI MULLAPPALLY RAMCHANDRAN (VADAKARA): Mr. Chairman, Sir, I express my deep gratitude for having given me this opportunity. I am extremely happy to participate in the discussion on the National Minimum Pension (Guarantee) Bill, 2014 introduced by my good friend, Shri Nishikant Dubey.

I am in agreement with the spirit of the Bill as it ensures minimum pension to every pensioner, including those who have worked in the unorganized and private sectors. But my considered view is that every deserving citizen of this country must be covered under one pension or the other because this is the practice we have adopted in the State of Kerala. We have successfully implemented this practice there.

Our country is moving towards a welfare State and the dream of our Father of the Nation as also the architects of our freedom was to eliminate

poverty and ensure justice to all.

The Directive Principles of State Policy contained in our Constitution clearly state:

> "The State shall within limits of its economic capacity and development make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement and in other cases of undeserved want."

India is the second most populous country in the world. Our population is more than 120 crore. My learned friend Mr. Bhartruhari Mahtab said that our country is the youngest. Yes, I agree with that. But, the fact remains that India is the world's third fastest growing economy and the resilience of our country's economy is acclaimed the world over.

It is to be remembered here that the pension scheme in India was introduced by the Britishers after the Sepoy Mutiny of 1857. This pension system was copied from Britain. The conditions prevailing in those days did not allow the British Government employees to earn any extra income through any business. The Government had to provide for their subsistence in old age. The India Pension Act was passed in the year 1871 with this end in view.

After Independence, we all know, several pension schemes were introduced by the Government of India. All these pension schemes were intended for the welfare and the subsistence of pensioners who worked under the Government at one point of time or the other.

The Pension Scheme introduced in 1972 for the veteran freedom fighters was a landmark in the history of pension system in our country. It was an innovative scheme introduced by the then Government to recognize the valour and sacrifice of those freedom fighters who had sacrificed everything for this country. It was after 25 years of our Independence. When we were celebrating 25 years of our Independence, the Government of India had taken such an innovative decision. That was a decision in the right direction.

The decision to ensure one rank, one pension in the Defence Forces is also another milestone in the history of pension system in our country. Now the EPF pension scheme to the tune of Rs. 1000 is also a laudable step in the right direction.

Sir, certain States have taken a great leap forward in protecting the interest of the citizens by granting pension to all sections of the society. I once again compliment my friend Mr. Bhartruhari Mahtab who said this. Kerala is one State which is in the forefront of introducing what is called agriculture labourers' pension a few years back. Kerala is a model to all other States to emulate. Path-breaking decisions have been taken by the successive Governments, be it my Government or other Governments, in the State. Besides the Government employees, the toiling workers in the unorganized sector, peasants, teachers, artisans, widows, agriculture workers, destitute, old aged people, physically challenged persons etc. are covered by one pension scheme or the other in the State of Kerala. That model was appreciated by no less a person than the Nobel laureate Amartya Sen.

Therefore, if we make a study about the various pension schemes introduced in Kerala, it will be a great example for the rest of the country to emulate and follow. The time has come for us to think about such social security measures at the national level also.

We must reflect on the degeneration and decay that have crept into our society. That aspect is to be taken care of very seriously by the Government as also by the society. Ours was a great nation which has given due respect and care for the aged.

The joint family system had, in fact, taught us about the rich values. In that way, we have inherited a great legacy. In the course of time, joint family system has vanished and nuclear family system has emerged. Now, we are living in an island of isolation and selfishness and our only slogan is 'for me and for my family'.

Sir, we all know that about one-eighth of the world's elderly population lives in India. The number of persons over 60 years of age is 90 million and this number will again rise up to 170 million by the year 2030. Every country is facing the question of aging societies. How can the elderly population be provided for at the fag end of their lives? The answer is a reasonable and affordable package of retirement benefits, which includes pension and health care.

Old age homes have become order of the day and children are dumping their parents in these homes.

I may suggest an amendment to this Bill. Sir, through you, I am requesting Shri Dubeyji to include all vulnerable sections of society by bringing this amendment to this Bill. Subject to the amendment, I fully support this Bill. I strongly believe that pension is deferred wages.

In conclusion, I appeal to the Government to bring about a comprehensive social security legislation so that people belonging to disadvantaged, underprivileged and weaker sections of society are covered under one pension or other.

श्री हुवमदेव नारायण यादव (मधुबनी) : माननीय सभापति जी, मैं नौजवान साथी निशिकांत जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने महत्वपूर्ण विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया है और इस पर हम विचार कर रहे हैं। देश के लाखों लोग लोकसभा टीवी को देखते रहते हैं, संसद की कार्यवाही को देखते रहते हैं, इस कार्यवाही को सुन रहे होंगे। हम शुरु से कहते रहे हैं - गांव, गरीब, मजदूर, किसान मिलकर बनाया हिंदुस्तान। हम गांव के गरीब मजदूर के लिए सोचते हैं, चाहे संगठित मजदूर हो या असंगठित मजदूर हो, उनके बारे में चर्चा चलती है। हिंदुस्तान का किसान भी तो जीवन भर, जीवन के अंतिम क्षण तक खेत में लगा रहता है, कोई न कोई काम करता रहता है। खेती के उत्पादन में लगा रहता है। पशु पालन में लगा रहता है। वह किस तरह की जिंदगी जीता है यह वही जानता होगा जिसने किसान के घर में जन्म लिया होगा या गांव में रहा होगा।

'का दुख जाने दुखिया, का दुख जाने दुखिया,

जाके पांव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई।'

जिसक पैर में बिवाई नहीं फटती है वह उसके दर्द को क्या जानेगा। वह गरीबी में जन्म लेता है, गरीबी में पलता है, गरीबी में बढ़ता है, गरीबी में जवानी जाती है और गरीबी में ही दुनिया से चला जाता

है। यहां तक कि मां के पेट में भी आता है तब भी वह निर्धनता की कोख में पलता है क्योंकि उसकी मां को भर पेट भोजन नहीं मिलता है, दाल नहीं मिलती है। दुनिया भर के लोग प्रोटीन, विटामिन की बात कहते हैं। इसी लोकसभा में डॉ. लोहिया ने सदन में कहा था कि हिंदुस्तान की करोड़ों माताएं हैं जिन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता, दाल नहीं मिलती जिसके कारण उनके स्तन में भरपूर दूध नहीं होता। और वह अपने बच्चे को गोद में पूरा दूध नहीं पिला पाती है। एक वह हिंदुस्तान है, यहां दो तरह का हिंदुस्तान बनाया गया है। एक देश में दो तरह का हिंदुस्तान है। एक है इंडिया that is called Bharat और एक है हिंदुस्तान, गांवों वाला हिंदुस्तान। एक है दिल्ली वाला हिंदुस्तान, बोट क्लब वाला हिंदुस्तान और एक है हमारे और आपके गांवों के चौपाल वाला हिंदुस्तान। चौधरी चरण सिंह जब भारत के प्रधान मंत्री बने थे तो एक दिन मैं उनके पास बैठा था। उन्होंने कहा - हुकुम बहादुर, मैं प्रधान मंत्री बन गया हूं, लेकिन 24 घंटे में एक बार, दो बार मुझे अपनी जिंदगी याद पड़ती है। जब मैं बचपन में था, जवानी में था। वही फूंस का छप्पर, मिट्टी की कच्ची दीवार, आगे में कच्चा कूंआ, उसी में से जानवर पानी पीते थे और उसी कूएं का मैं पानी पीता था। आधे घर में जानवर, आधे घर में टूटी खाट पर मैं लेटता था, एक पुरानी साइकिल थी, उस साइकिल से मैं किसी तरह हाई स्कूल तक पढ़ने के लिए चला जाता था। इसलिए मैं उस बात को कह रहा हूं कि चौधरी चरण सिंह जी को प्रधान मंत्री बनने के बाद भी अपनी गरीबी, निर्धनता, बेबसी, बचपन, जवानी के दिन याद आते थे और तब वह सोचते थे कि जब कभी मौका लगेगा, तब उन गांव वालों के लिए सोचूंगा, उन किसानों के लिए कुछ करूंगा, उन गरीबों के लिए करूंगा। उसी तरह संयोग है कि आज भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बने हैं। देश के अंदर इस बात का बहुत प्रचार हुआ। कई तरह से प्रचार हुए, विपक्षियों ने किया, हमने भी किया और देश के अंदर गांवों के जो गरीब लोग थे, उनके मन में यह बात गई कि भारत के प्रधान मंत्री के लिए जिस आदमी का निर्वाचन करना है, उनके मन में भी वही गरीबी की कहानी होगी, जो चौधरी चरण सिंह अपनी गरीबी की कहानी कहा करते थे। आखिर कहीं न कहीं भारत के प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी को भी वही दिन याद आते होंगे।

HON. CHAIRPERSON : Shri Hukumdeo Narayan Yadav, please wait for a minute.

I am to inform the hon. Members that two hours' time has already been taken on the Bill thus almost exhausting time allotted for its discussion. As there are three more Members to take part in the discussion on the Bill, the House has to extend time for further discussion of the Bill.

Is it the pleasure of the House that time for the discussion of the Bill be extended by one hour?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. CHAIRPERSON: Okay, time for the discussion of the Bill has been extended by one hour.

Shri Hukumdeo Narayan Yadav, you may continue now.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : मैं कह रहा था कि उसी तरह भारत के प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी को भी वे दिन अवश्य याद आते होंगे और याद आने चाहिए। वही पिछड़े परिवार में जन्म लिया, चाय बेची, रेलवे के प्लेटफार्म पर रहे, कहीं जूट के टाट पर सोये होंगे या चाय की दुकान में बैंच पर सोये होंगे। गरीबी को देखा होगा, निर्धनता को देखा होगा। देश के इन करोड़ों गरीबों, निर्धन, निर्बल, उपेक्षित, उपहासित, दरिद्र, पीड़ित, वंचित समाज के जो लोग रहे हैं, उनके मन में एक आशा की किरण जगी है, उनके मन में एक बहुत बड़ी अभिलाषा आई है और उनकी अभिलाषा यह है कि भारत की गद्दी पर ऐसा निर्धन, निर्बल, उपेक्षित और पिछड़े परिवार का बेटा प्रधान मंत्री बनकर बैठा है, कहीं न कहीं मेरे लिए उनके दिल में दर्द जरूर होगा और उसका एहसास जरूर होगा। मैं इस सदन में करोड़ों उन गरीबों, निर्धन, निर्बल, असहाय, वंचित, उपेक्षित जो भी समाज के अंदर दरिद्र हैं, दिल्ली की फुटपाथ पर सोने वाले लोग हैं। वे उसी फुटपाथ पर जन्म लेते हैं, उसी फुटपाथ पर खेलते हैं, उसी फुटपाथ पर जवानी आती है। उसी फुटपाथ पर दूसरे कबीले के साथ शादी होती है, उसी फुटपाथ पर उसकी सुहागरात मनती है और उसी फुटपाथ पर फिर बच्चे पैदा होते हैं। फुटपाथ पर कुत्ते के बच्चे और इंसान के बच्चे एक साथ ही सो कर, फटे कपड़ों से सिली हुई गुदड़ी के अंदर रात गुजारते हैं। हिंदुस्तान के अंदर निराश, निराश्रित, हताश ऐसे करोड़ों लोगों के मन में आशा का संचार जगा है। गांधी ने जगाया, लोहिया ने जगाया, पंडित दीन दयाल जी ने जगाया, जय प्रकाश नारायण जी ने जगाया, आचार्य नरेन्द्र देव जी ने जगाया या जो साम्यवादी आंदोलन में लगे हुए लोग हों, हम साम्यवादी विचारधारा के विरोधी रहे हैं, सहमत नहीं हैं, लेकिन गरीबों, निर्धन, निर्बल को जगाने में उन्होंने भी कहीं न कहीं हिंदुस्तान में सहयोग दिया है। ये सब मिल कर उस देश के लोगों को जगाते रहे हैं। ये कहते रहे हैं कि -

"आएगा जी आएगा, नया जमाना आएगा। कमाने वाला खाएगा।
लूटने वाला जाएगा। नया जमाना आएगा। "

यह कब आएगा? श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वह नया जमाना नहीं आएगा तो लाएगा कौन? अगर नया जमाना नहीं आएगा तो हिंदुस्तान के जो करोड़ों पीड़ित, उपेक्षित, निर्धन हैं, जिनके पेट की आग की ज्वाला धधकती रहती है और उस गरीब को देखते हुए कविवर दिनकर जी ने कहा था कि -

"कुत्ते को मिलते दूध-भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं।
माँ की हड्डी से चिपक-ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। "

मेरी ही कोठी के सर्वेंट क्वाटर में काम करने वाली है, उसके सामने समस्या है कि उसके बच्चे को एक गिलास दूध कैसे मिलेगा? एक हिंदुस्तान है, जिसके सामने यह समस्या है कि उसके बच्चे को विदेश से आयात ब्रेड, दूध, मीट कैसे मिला करेगा। बड़े लोगों के घरों में जो कुत्ते हैं, उन बड़े लोगों के कुत्तों से भी हमारी जिंदगी बदतर है।

मैं सन् 1977 में जब पहली बार जीत कर आया तब गांव से आया था। तीन बार एमएलए होने के कारण पटना में रहा, लेकिन कभी दिल्ली को नहीं देखा था। सोचा कि दिल्ली को ज़रा देखें तो पैदल निकल जाता था। एक दिन मैं पैदल चलते-चलते देख रहा था, क्योंकि बड़ी ऊंची-ऊंची अट्टालिकाओं को देखने में आनंद आता था कि इतने बड़े-बड़े मकान बने कैसे? कभी गांव में देखा नहीं था। एक बार सड़क के किनारे बोट क्लब से जा रहा था। एक लंबी गाड़ी जा रही थी, न जाने कितने लाख की होगी। उसमें एक मेमसाहब बैठी थीं। उनके बगल में एक कुत्ता बैठा था। वह दरवाजे के अंदर से अपनी गर्दन निकाल कर जीभ लपलपा-लपलपा के अंदर चल रहा था। मैं उसको देख कर के ठिठक गया। मैंने सोचा कि कुत्ता भी कुछ कह रहा होगा। फिर मेरे अंदर से अपने गांव की गरीबी की वेदना आई। हमने कहा कि यह कुत्ता जीभ लपलपा के हमें ही कह रहा है कि धिक्कार है तेरी जिंदगी। तू इंसान हो कर ऐसी जिंदगी जी रहा है। देख हिंदुस्तान में मैं कुत्ता हो कर भी कितने स्वर्ग की जिंदगी जी रहा हूँ। मैं कुत्ता स्वर्गपुरी में हूँ। तुम इंसान हो कर नर्क की जिंदगी जी रहे हो। ये दो हिंदुस्तान हैं। दो हिंदुस्तान का यह फर्क कब मिटेगा? निशिकांत दूबे जी ने छोटा सा विधेयक पेश किया है। आप कह रहे हैं कि कौन है असंगठित? डॉ. लोहिया ने जाति प्रथा पर किताब लिखते हुए लिखा है कि जब जाति गतिशील रहती है, तब उससे वर्ग बनता है और वर्ग जब गतिहीन हो कर स्थिर हो जाता है, तो वह जाति बन जाती है। भारत की जाति प्रथा पेशे पर आधारित है। जन्म दर जन्म हमें जाति से जबरदस्ती बांध दिया गया है कि अगर हमने अहीर के घर में जन्म लिया है, हमारे पूर्वज अहीर थे और हम भी अहीर हैं। मेरा बेटा या पोता चाहे आईएएस, आईपीएस हो जाए, लेकिन वह अहीर का अहीर ही रहेगा, दलित का दलित ही रहेगा। यह भारत नहीं था। भारत में पहले रूपांतरण होता था। अगर विद्वता की बात आयी तो एक दलित के घर में जन्म लेने वाले बाल्मीकि भी अपनी योग्यता, क्षमता के कारण ब्रह्मणत्व को प्राप्त करके ब्राह्मण के जैसे पूजे गए। जब तक भारत में योग्यता, क्षमता, दक्षता के आधार पर जातियों का परिवर्तन होता रहता था, उनकी ऊपर प्रोन्नति होती रहती थी, तब तक भारत बलवान था, भारत का स्वर्णिम काल था। जब से जाति को जन्म के कठघरे में कैद कर दिया गया कि तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी दक्षता, तुम्हारी विद्वता और अनुभव किसी कीमत का नहीं है, इसलिए कि तुम एक अमुक जाति में जन्म लिए हो, इसलिए तुम्हारी योग्यता, क्षमता, दक्षता की कोई कीमत हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इस घर में कोई विद्वान पैदा हो ही नहीं सकता है, ज्ञानी पैदा हो ही नहीं सकता है। यह तो भारत का वांग्मय कहता है कि ज्ञान के भंडार पैदा करने वाले कबीर उसी निर्धन, निर्बल, पिछड़े समाज में पैदा हुए थे। संत रविदास उसी दलित समाज में पैदा हुए थे, चाहे वह समर्थ गुरू राम दास हों, चाहे वह तुकाराम हों, चाहे वह ज्ञानदेव हों, ये सभी कमजोर, निर्धन घर में पैदा हुए थे। ये कोई हाईस्कूल, कॉलेज और पीएचडी, आईआईएम या आईआईटी से डिग्री लेकर नहीं आए थे। आज उनकी वाणी शाश्वत है, सनातन है और ज्ञान का भंडार है।

मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि जातियों के पेशे के आधार पर लोहा का काम करने वाला लोहार होगा, लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई होगा, मिट्टी का काम करने वाला कुम्हार होगा, चमड़े का काम करने वाला चमार होगा, जंगल में मूसा मारने वाला मूसहर होगा, तेल पेरने वाला तेली होगा, सरसों बेचने वाला बनिया होगा, सरसों पैदा करने वाला किसान, अहीर, गुर्जर, जाट होगा। अब इतने जो अलग-अलग ढंग से सूक्ष्म रूप से विभाजन किया गया, जिसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन, किसी समय समाज के हित में श्रम का विभाजन किया गया था, लेकिन

धीरे-धीरे वह श्रम के आधार पर ही, पेशे के आधार पर ही जाति और योनी की कटघरे में समाज को कैद कर दिया गया। जो समाज का सबसे श्रमिक वर्ग हुआ, पसीना बहाने वाला हुआ, जिसके लिए आज निशिकान्त दुबे जी यह विधेयक लाए हैं, वही उपेक्षित रहा, उपहासित रहा, पीड़ित रहा, प्रताड़ित रहा। इसका मतलब है कि पसीना बहाने वाला इस भारत में रोता रहा है और पैसे वाला इस देश में मौज उड़ाता रहा है। क्या हिंदुस्तान में पैसे की कोई कमी है? एक तरफ है पैसे वाला, दूसरी तरफ है पसीने वाला। माननीय नरेन्द्र मोदी जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसी कोई व्यवस्था लाइए, कानून बनाइए, संविधान में संशोधन करना पड़े तो करिए। जहां पसीना है, वहां पैसे को पहुंचाना है। जिस दिन पसीने के आसपास पैसा पहुंच जाएगा, उस दिन वह भारत का स्वर्णिम युग होगा। भारत विश्व का सबसे महान राष्ट्र तब होगा, जब पसीने वाले के पास पैसा जाएगा। जहां पैसा है, वहां शरीर में पसीना नहीं है। जाड़े में गर्म, गर्मी में ठंडा, कहते हैं एयर कंडीशन, उसका नाम लिखा रहता है वातानुकूलित। मैं कहता हूं कि यह वातानुकूलित है, यह अनुकूलित कहां हुआ? वेदर में भीतर में ठंडा, बाहर में गर्म, वह अनुकल होता तब जब बाहर में गर्म और भीतर भी गर्म। प्रतिकूल को कहते हैं कि यह वातानुकूल है, ऐसा नहीं है। एक तरफ वह हिंदुस्तान और दूसरी तरफ यह हिंदुस्तान। आखिर यह पेंशन क्यों जरूरी है? इसमें केवल संगठित मजदूर क्यों?

महोदय, इस देश में सीमांत किसान 64.77 प्रतिशत हैं, यह नये वर्ष 2010-11 के सेंसस के आंकड़ों के अनुसार हैं। वर्ष 1990-91 में इनकी संख्या 59.4 परसेंट थी, जो वर्ष 2009-10 में हो गया 64.77 परसेंट, ऐसा क्यों? जिनको मार्जिनल फार्मर्स कहते हैं, सीमांत किसान बढ़ते जा रहे हैं। किसान के परिवार की जमीन बंटती है। मेरे पिता जी के पास सवा सौ एकड़ जमीन, लेकिन आज मेरे घर में मेरे सगे भाई के पोते के हिस्से में पांच एकड़ जमीन है। कैसे हो गया? सौ एकड़ ज़मीन जोतने वाला किसान का पोता ढाई एकड़ ज़मीन का मालिक हो गया। सन् 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो बिड़ला की कुल संपत्ति 45 करोड़ थी। मैंने पाँच-आठ साल पहले एन.सी.ए.ई.आर.(नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च) का एक आँकड़ा पढ़ा था कि हिन्दुस्तान के नीचे से 20 प्रतिशत गरीबों की कुल जायदाद और कुल संपत्ति तराज़ू के एक पड़ले पर और बिड़ला की जायदाद तराज़ू के दूसरे तराजू पर रखें तो भी बिड़ला का पड़ला भारी है। अर्थात् 20 प्रतिशत नीचे के जो गरीब, निर्धन हैं, उन पर अकेला बिड़ला भारी है, उनके पास ज्यादा परिसम्पति है। नीचे से 20 प्रतिशत आदमी अपनी सारी जायदाद एक तरफ रख दें तब भी बराबर नहीं होगा, ऐसा हिन्दुस्तान बनाया गया है। उसमें जो नीचे के लोग हैं, किसान हैं, लघु किसान हैं, पहले 18.8 थे जो 18.52 हो गए। गाँव में रहने वाले 1951 में 82.7 थे जो 2001 में 72.2 हो गए। कहाँ चले गए - गाँव छोड़कर भाग गए, शहर में आ गए। रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, मुटियागिरी का काम करने वाला, गिट्टी तोड़ने वाला, पत्थर ढोने वाला, फुटपाथ पर सोने वाला, जूठा पत्तल चाटने वाला, कुत्ते की ज़िन्दगी जीने वाला अगर कोई है तो वह किसान का बेटा है जो ज़मीन-जायदाद बँटते-बँटते जब भूमिहीन हो गया, हाथ में काम नहीं रहा तो शहर में आकर इस तरह की ज़िन्दगी जी रहा है, कीड़े-मकौड़े की ज़िन्दगी जी रहा है - उसको पैंशन नहीं मिले? हमारे मिथिलांचल में मैथिली में कहावत है कि जिसके हाथ में डोई, वही है सब कोई। जिसको अपने परोसने के लिए मिला है, सरकारी कर्मचारी आज संगठित हैं। चाहे जो मजबूरी हों, मेरी मांगें पूरी हों, तो उनकी मांगें पूरी हो जाती हैं। किसान रोते-रोते मर जाएगा, कहता रह जाएगा कि मेरी मांगें पूरी हों, तो किसान की मांग को सुनने वाला कौन है? कोई सुनने वाला नहीं है। अब जीवन में एक आशा का संचार आया है कि उसकी ज़िन्दगी में अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी बने हैं।

मैं अंत में कहना चाहूँगा कि डॉ. लोहिया ने समता समाज की बात की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा समरस समाज। दोनों एक हैं। गांधी ने कहा दरिद्र नारायण। सब एक ही हैं लेकिन कहने के लिए शब्द अलग हैं। समता, समरसता। समाज में समरसता आएगी कब, समता आएगी तब। सभापति जी, आप भी किसान, मैं भी किसान। हमारी फसल में समरस होता है जब पूरे खेत की फसल में बराबर से पानी हो और नमी जाए। तब, जबकि ज़मीन हो समतल। जब समतल होगा, तभी समरस होगा। यह समतल कब बनेगा, जब ऊंचे से नीचे आएँगे, नीचे वाले जब ऊपर उठेंगे। इसीलिए डॉ. लोहिया ने कहा था, समाजवाद का यही तकाज़ा, सौ से कम न हज़ार से ज़्यादा। न्यूनतम और अधिकतम सीमा लगाई जाए। केवल पैंशन से नहीं, समाज तब बदलेगा जब ऊपर वाले और नीचे वाले की आय की सीमा निर्धारित हो जाए। ऊपर वाले अगर 15 रहेंगे तो नीचे वाला 1 रहेगा। आज ऊपर वाले की कोई सीमा नहीं है, नीचे वाले की सीमा है। कमाने वाले पर आयकर लगता है और फूँकने वाले पर कोई कर नहीं लगता है। इसलिए खर्चे पर भी सीमा लगाओ। पैसा जुटेगा और इस सबसे पैसा लाकर हिन्दुस्तान के जो किसान हैं, असंगठित मज़दूर ही नहीं, खेतिहर मज़दूर और किसान मज़दूर भी हैं। किसान किसान ही है। जब अपने खेत में काम करे तो किसान, और समय बच जाए तो दूसरे के खेत में मज़दूरी करने जाए तो मज़दूर। यह खेतिहर मज़दूर भी है और किसान भी है। चौधरी चरण सिंह जी ने अपने प्रस्ताव में दिया था, मैं इस संसद में कई बार बोला हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि हिन्दुस्तान के जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं, जो सबसे नीचे हैं, उनको जितनी पैंशन मिलती है साठ वर्ष की आयु पार करने के बाद, हिन्दुस्तान के हर किसान और खेतिहर मज़दूर को उतनी पेंशन की गारंटी कर दी जाए। क्योंकि वह जीवन भर सड़ता है, गलता है, धूप में तपता है, बरसात में गलता है, जाड़े में ठिठुरता है और नया हिन्दुस्तान बनाता है। रात में काम करने के बाद सो जाता है। मैं उस पंक्ति को कह कर वाणी समाप्त करूंगा-

'धूप ताप में मेहनत करते, बच्चे तड़प-तड़प कर मरते,

फिर भी पेट नहीं है भरता, जीवन कटता रो-रो कर,

हम चलो बसायें नया नगर। हम चलो बसायें नया नगर।

जहां न हो छोट-बड़ाई, गले मिलें सब भाई-भाई।

ऊंच-नीच का भेद न होवे, सुख की होवे डगर-डगर।

हम चलो बसायें नया नगर। हम चलो बसायें नया नगर।'

यही गाते रहे हैं और लड़ते रहे हैं जीवन भर। आज भी लड़ रहे हैं। इस लड़ाई के अंत पर डॉक्टर लोहिया ने कहा था, उस वाणी को कह कर विराम करूंगा कि 'हुक्म चंद घबराना मत, धीरज के साथ आगे बढ़ते जाना, लड़ते जाना। एक न एक दिन आएगा जब हिन्दुस्तान के निर्धन-निर्बल वर्ग से कोई पिछड़े का बेटा भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, वह सपना साकार होगा।' हम उस आशा के साथ बढ़ते आए हैं। आज वह सपना साकार हुआ है। लोहिया का सपना साकार हुआ है। नरेन्द्र मोदी जी से आशा है कि आप उस भारत का निर्माण कर दीजिए। चाणक्य बनिए, नये भारत का निर्माण कीजिए। स्वर्णिम युग को लाइए, विश्व में विजय पताका फहराइए।

निशिकान्त दूबे जी का प्रस्ताव छोटा प्रस्ताव है। हमें इस से भी आगे जाना है और एक नयी रेखा बना कर एक नयी दुनिया का निर्माण करना है। इसी के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): Sir, I thank the Chair for giving me this rare opportunity. I congratulate my colleague, hon. Member Shri Nishikant Dubey, for introducing a very futuristic and welfare oriented Bill. I wholeheartedly congratulate him.

Our Directive Principles very clearly say that it is the Fundamental Duty of the Government, either State Government or Central Government, to provide the basic needs to everyone. As my colleagues who spoke earlier have mentioned, everyone should get a dignified life. It is quite unfortunate that in the present day scenario, people get pension mostly only from the government oriented jobs. Only because of the pension that either the State Government or the Central Government is giving, there is a tremendous pressure on governmental jobs. People are crazy for the State Government jobs, including the post of a peon or any other lower grade post for the simple reason that it carries the pension. If this facility of pension is made available to private sector and unorganized sector, I am sure that this will also reduce the pressure on demand for government jobs.

We all know that these days, price of every commodity is going up and living with small money is extremely difficult. Secondly, the joint-family system, which was very popular and effective in India, is slowly disintegrating. Children are not taking care of their parents. Therefore, it is high time that, as conceived by Shri Nishikant Dubey, we introduce a Bill to take care of the minimum pension for all the pensioners. The scope of this Bill may also be extended to cover the whole of unorganized sector as well. It gives me pleasure to mention here in this hon. House that earlier I worked as the Labour Commissioner, Government of Tamil Nadu. Just as the Kerala Government is a model for agricultural labourers and marginal farmers in

providing pension, the Tamil Nadu Government is also having the welfare boards for most of the unorganised sectors, which is ensuring minimum pension. But what the Governments are giving is a very paltry amount of Rs. 1,000 or Rs. 2,000. Further, in the State Governments also extremely small amount is being given to the pensioners above 60 years, and they are not able to make both ends meet.

Very often, we think that the Governments are giving various schemes or doles, but when we visit the villages, it is extremely pathetic to hear some of these women or old men saying that they are not getting even a single penny as pension. If this could cover the unorganised sectors like the construction workers, artisans, goldsmiths, etc. -- and there are as many as 30 unorganised sectors Â-- and if they are also made eligible for this by enlarging the scope of this Bill, then it will enable most of these people to live with dignity.

It is a very common phenomenon that parents wish for male children, but, unfortunately, they are also not looking after their parents so well. Hence, it is high time that we take care of people in the unorganised sectors. More particularly, the Government should evolve a system whereby the agricultural labourers are also covered under this scheme.

As my earlier speakers had mentioned that 80 per cent of the people in the country own less than 10 per cent of the assets of the country whereas 10 per cent of the people own more than 80 per cent of the income. In order to set this right, the Government may take adequate steps to cover these unfortunate people, particularly, the agricultural labourers. Normally, after 50 years it is extremely difficult for them to carry on with the agricultural labour work as it is a very tiresome job. As a result, if we compare the life expectancy between people in the villages and the towns, then we find that the life expectancy in the towns is increasing decade by decade whereas the life expectancy in the villages is coming down. It is happening because of the simple reason that they are not able to have nutritious meals, and they are not able to meet their minimum needs. Therefore, the Government would be very considerate to ensure that every eligible individual -- that is, who is not able to have the livelihood -- is covered by one form or the other, so that they could live with dignity, and live as independent citizens. The parents also do not want to extend their arm in front of their children and ask for help. This can be seen in the villages as most of us have come from villages. They may be very poor, but at the same time â€¦ (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Velagapalli, it would be better if you conclude now.

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI : Right, Sir. So, in order to reduce pressure on the Government jobs, the private sector as well as the unorganized sectors should also be covered, which are not being looked after so well as also the agricultural labourers, etc. should also be covered under this scheme.

One more point that I would like to mention here in the hon. House is that ...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Velagapalli, please conclude now.

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI : Right, Sir. Just as other schemes are being covered, at the time of the death also they should be dealt with dignity. Therefore, a lump sum amount should also be given under this scheme.

I wholeheartedly thank the Chairman for giving me this great opportunity. I once again congratulate the Member for conceiving such a Bill.

-

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदय, आपने मुझे श्री निशिकांत दुबे द्वारा राष्ट्रीय न्यूनतम पेंशन (गारंटी) विधेयक, 2014, जो गैर सरकारी विधेयक के रूप में प्रस्तुत हुआ है, उसके बारे में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं मानता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : मेघवाल साहब, आपका भाषण अगली बार के लिए जारी रहे।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: The House stands adjourned to meet again on Wednesday, the 30th of July, 2014 at 11.00 a.m.

18.00 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Wednesday, July 30, 2014/Shravana 8, 1936 (Saka).

* ण्ड स्न्द अ ङ्घत्त्द्वड्ड ङ्डद्दण्ड ण्ड दड्डर्ढ द्दढ ङ ग्द्धथ्डड्ढद त्यड्डत्तड्डय्ड्दम् ण्डद्य् ण्ड द्र्वड्डद्यत्त्द ङ्घ् ङ्डह्य्द्वङ्घय्न् ङ्तद्धड्ड द्दद ण्ड्ढ ढथ्दद्द द्दढ ण्ड्ढ Hद्दवम्ड्द ङन् ण्डद्य् ग्द्धथ्डड्ढद.

* E*न्द्रद्वदड्र्ढड्ड ङ्घ् द्दद्धड्डड्ढद्धड्ढड्ड ङन् ण्ड्ढ ण्ड्तत्द्ध.*

*। ख्रदय्द्धद्दड्डद्वहड्ढड्ड द्र्य्ण् ण्ड्ढ द्धड्ढहद्दड्र्ढदड्डड्डय्त्द्दद द्दढ ण्ड्ढ घ्द्धड्ढत्ड्डड्ढददय्.